रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

IndiaCode

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

सा.का.नि.165(अ).- केन्द्रीय सरकार भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रजिस्ट्रीकृत भांडागारों के बेहतर और प्रभावी विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 है।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) है ;

(ख) "सहबद्ध" से—

(i) आवेदक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके कोई नातेदार, जो प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति है ;

(ii) कोई कंपनी, जिसमें आवेदक या उसका कोई प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति सदस्य या निदेशक है ;

(iii) कोई व्यक्ति, जिसके परामर्श, निदेशों या अनुदेशों पर आवेदक या उसका कोई प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, सिवाय वहां जहां परामर्श, निदेश या अनुदेश किसी वृत्तिक क्षमता में दिए गए हैं ;

(iv) यदि आवेदक कोई व्यष्टि है तो आवेदक का नातेदार ;

(v) यदि आवेदक कोई कंपनी है, कोई कंपनी, जो —

(1) आवेदक की नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी ; या

(2) कोई समनुषंगी या नियंत्री कंपनी, जिसमें आवेदक भी एक समनुषंगी है ;

(ग) "आवेदक" से कोई व्यक्ति या भांडागारपाल अभिप्रेत है जो नियम 4 या नियम 13 के अधीन प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण या उपांतरण के लिए कोई आवेदन करता है ;

(घ) किसी अन्य कंपनी के संबंध में "सहयुक्त कंपनी" से कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें उस अन्य कंपनी की कुल शेयर पूंजी का कम से कम 20 प्रतिशत का या किसी करार के अधीन कारोबार के विनिश्चयों का नियंत्रण है किंतु जो ऐसा प्रभाव रखने वाली कंपनी की समनुषंगी नहीं है और इसके अंतर्गत संयुक्त उद्यम कंपनी है ;

(ङ) "प्रभावी नियंत्रण" से किसी आवेदक या भांडागारपाल की संबंधित भांडागार के संबंध में भौतिक कब्जा और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज के माध्यम से पूर्ण प्रचालन नियंत्रण उपदर्शित करने की योग्यता अभिप्रेत है ;

(च) "बाह्य व्यक्ति" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत कोई निरीक्षण अभिकरण भी शामिल है,—

(i) जो कोई प्राधिकरण से स्वतंत्र है ;

(ii) जो आवेदक या भांडागारपाल या किसी आवेदक या भांडागारपाल का नातेदार या संबद्ध नहीं है ; और

(iii) जिसे प्राधिकरण द्वारा इन नियमों, विनियमों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या परिपत्रों के अधीन किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने का उत्तरदायित्व समनुदेशित किया गया है ;

(छ) एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में "नियंत्री कंपनी" से कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिनकी ऐसी कंपनियां समनुषंगी कंपनियां है ;

(ज) किसी आवेदक या भांडागारपाल के संबंध में "प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(i) यदि आवेदक भागीदारी फर्म है, तो उसके रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म विलेख में वर्णित प्रत्येक भागीदार ;

(ii) यदि आवेदक कोई न्यास है, तो न्यास का अधिवासी और न्यासी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य ;

(iii) यदि आवेदक कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तथा उसके शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य ;

(iv) यदि आवेदक कोई कंपनी है, तो,--

(अ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक ;

(आ) कंपनी सचिव ;

(इ) निदेशक ; और

(ई) मुख्य वित्त अधिकारी ;

(झ) "शुद्ध मूल्य" से अभिप्रेत है ,--

(i) किसी कंपनी के लिए, संपरिक्षित तुलन-पत्र के अनुसार संदत्त शेयर पूंजी और लाभ और प्रतिभूति प्रीमियम लेखे से संचित हानियों के सकल मूल्य, अस्थगित व्यय और बट्टे खाते में न डाले गए प्रकीर्ण व्यय को घटाकर किंतु इसके अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन और अवक्षयण का प्रतिलेखन और समामेलन सम्मिलित नहीं है, सकल मूल्य अभिप्रेत है ;

(ii) किसी भागीदारी फर्म, व्यष्टि, सोसाइटी या एकल सांपतिकता के लिए संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों का सकल अभिप्रेत है ;

(ञ) "सूचना लेने वाला" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना या कोई आदेश जारी किया गया है ;

(ट) "रजिस्ट्रीकृत भांडागार" से कोई भांडागार अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा भांडागार का कारोबार चलाने के लिए भांडागारपाल को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है ;

(ठ) "नातेदार" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी किसी व्यष्टि के साथ निम्नलिखित नातेदारियों में से कोई नातेदारी है,--

(i) वह उसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है ;

(ii) वे पति या पत्नी है ;

(iii) वे विवाह संबंध या समरक्तता के माध्यम से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अवधारित विनिर्दिष्ट डिग्री के भीतर संबंधित है या ऐसी विनिर्दिष्ट डिग्री के भीतर सौतेले या अंगीकृत नातेदारी में व्यष्टि हैं ;

(ड) "हेतुक उपदर्शित करने की सूचना" से प्राधिकरण द्वारा जारी लिखित या इलैक्ट्रानिकी सूचना अभिप्रेत है, जो—

(i) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का कथन करती है ;

(ii) प्रस्तावित कार्रवाई की अपेक्षा करने वाले कारणों का कथन करती है ; और

(iii) उस समय-सीमा का उपबंध करती है, जिसमें ऐसी सूचना का प्रत्युत्तर दिया जाएगा ;

(ढ) "मानक प्रचालन प्रक्रिया" से नियम 21 के अधीन विहित परिप्रेक्ष्यों के संबंध में ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जिसमें प्रक्रियाएं, कार्रवाईयां और उत्तरदायित्व आते हैं ;

(ण) किसी अन्य कंपनी के संबंध में "समनुषंगी" (जैसे कि नियंत्री कंपनी) से कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें नियंत्री कंपनी किसी अन्य समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत:--

(i) निदेशक बोर्ड की संरचना को नियंत्रित करती है, ऐसा नियंत्रण उन दशाओं में विविक्षित है जहां कंपनी अपने विवेकाधिकार के अधीन प्रयोगतव्य कुछ शक्ति के प्रयोग द्वारा सभी निदेशकों या उनके बहुमत को नियुक्त कर सकती है ; या

(ii) स्वयं या उसकी एक या अधिक समनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का उपयोग करती है या नियंत्रित करती है ;

(त) "संबंधित भांडागार" से भांडागार अभिप्रेत है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया है।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

IndiaCode

अध्याय 2

भांडागार कारोबार का आरंभ होना

3. प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण—(1) प्राधिकरण किसी भांडागार के संबंध में किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा, यदि,--

(क) व्यक्ति ने नियम 4 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

(2) कोई व्यक्ति अपने भांडागार के रजिस्ट्रीकरण पर भांडागारपाल के रूप में और भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के लिए प्रक्रिया

4. आवेदन का फाइल करना--(1) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागार के अनुरक्षण का कारोबार आरंभ करने या चलाने के लिए इच्छुक व्यक्ति भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को इन नियमों के अनुसार दूसरी अनुसूची में उपाबद्ध प्रारूप में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक या तो उसके स्वामित्वाधीन या उसके प्रभावी नियंत्रणाधीन एक या अधिक भांडागारों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदक आवेदन को प्राधिकरण को इलैक्ट्रानिकी रूप में या ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(4) किसी आवेदन को पूर्ण माना जाएगा यदि,--

(क) आवेदन को उपनियम 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति में प्रस्तुत किया जाता है ;

(ख) आवेदन में नियम 15, नियम 16, नियम 17, नियम 18 और नियम 21 के अधीन विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं ; और

(ग) आवेदन के साथ नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट सभी फीसें संलग्न हैं।

(5) प्राधिकरण आवेदक या भांडागारपाल से अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा यदि वह इन नियमों के अधीन आवेदक की पात्रता का पता लगाने के लिए उचित समझे।

5. आवेदन के लिए फीस—आवेदक प्राधिकरण को तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अप्रतिदेय फीस का संदाय करेगा।

6. आवेदन की अभिस्वीकृति—(1) प्राधिकरण, आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के तीन कार्यदिवस के भीतर अभिस्वीकृति भेजेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की केवल रसीद या अभिस्वीकृति जारी करना, प्राधिकरण को आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आबद्ध नहीं करेगा।

अध्याय 4

आवेदन की जांच और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

7. आवेदन की जांच—(1) प्राधिकरण भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के दस कार्यदिवस के भीतर आवेदन की जांच करेगा जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या—

(क) नियम 4 के उपनियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार आवेदन पूर्ण है ; और

(ख) आवेदक नियम 15, नियम 16, नियम 17, नियम 18 और नियम 21 में कथित पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता है।

IndiaCode

(2) प्राधिकरण यदि यह पाता है कि आवेदक नियम 4 के उपनियम (4) या नियम 15, नियम 16, नियम 17, नियम 18 और नियम 21 के अधीन कथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह भौतिक निरीक्षण के लिए संसूचना जारी करने से पूर्व आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा ।

(3) जहां प्राधिकरण ने भौतिक निरीक्षण के लिए नियम 8 के अधीन संसूचना जारी की है, वहां वह निरीक्षण रिपोर्ट की जांच के आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण किसी आवेदन को नियम 11 के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करने के सिवाय अस्वीकार नहीं करेगा ।

8. भांडागार का निरीक्षण —(1) प्राधिकरण स्वयं या किसी बाह्य व्यक्ति के माध्यम से भांडागार का भौतिक निरीक्षण संचालित कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण आवेदन में सूचीबद्ध भांडागार के भौतिक निरीक्षण की आवेदक को उस प्रभाव की लिखित या इलैक्ट्रानिकी संसूचना भेजकर अपेक्षा करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन लिखित या इलैक्ट्रानिकी संसूचना में निम्नलिखित के ब्यौरे सम्मिलित होंगे—

(क) निरीक्षण किया जाने वाला भांडागार ;

(ख) यदि भौतिक निरीक्षण के लिए किसी बाह्य व्यक्ति को समनुदेशित किया गया है तो ऐसे बाह्य व्यक्ति के ब्यौरे ; और

(ग) कोई अन्य ब्यौरे, जिनकी आवेदक को संसूचना भेजे जाने की अपेक्षा हो ।

(4) प्राधिकरण मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से निरीक्षणों को संचालित करने के लिए बाह्य व्यक्ति के पैनलीकरण की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) प्राधिकरण आदेश द्वारा निरीक्षण फीस की रकम और बाह्य व्यक्ति को, यथास्थिति, भांडागार और भांडागारपाल का निरीक्षण संचालित करने के लिए ऐसी फीस के संदाय की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) प्राधिकरण या बाह्य व्यक्ति प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में भौतिक निरीक्षण संचालित करेगा और नियम 20 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार भांडागार के भौतिक पैरामीटरों और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अपेक्षा की सूचना एकत्रित करेगा और प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप में, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विहित किया जाए, निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) बाह्य व्यक्ति आवेदक के भांडागार का भौतिक निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पत्र जारी करने के 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरा करेगा ।

(3) प्राधिकरण आवेदक को निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति बाह्य व्यक्ति से भौतिक निरीक्षण की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख के 10 दिन के भीतर भेजेगा ।

10. भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट की जांच—(1) प्राधिकरण नियम 9 के अधीन प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की दस कार्यदिवस के भीतर जांच करेगा ।

(2) यदि प्राधिकरण का आवेदन और भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि भांडागार इन नियमों के अधीन पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो वह आवेदन को नियम 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अस्वीकार कर देगा ।

11. आवेदन को अस्वीकार करने की प्रक्रिया—(1) प्राधिकरण यदि आवेदन को अस्वीकार करने का प्रस्ताव करता है तो वह आवेदक को एक सूचना जारी करेगा ।

(2) सूचना आवेदक को प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए कम से कम 15 कार्यदिवस उपलब्ध कराएगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के अवसर में प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या लिखित या इलैक्ट्रानिकी संसूचना, जैसा कि सूचना द्वारा अपेक्षित हो, सुना जाना सम्मिलित है ।

(4) प्राधिकरण किसी आवेदक को, जिसे सूचना जारी की गई है, सुधारकारी उपाय करने के लिए और आवेदन का पुनरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा, जिससे आवेदक इन नियमों के अधीन यथाउपबंधित पात्रता मानदंड को पूरा कर सके ।

(5) यदि प्राधिकरण यह समझता है कि उसका ऐसे सुधारकारी उपायों के संबंध में समाधान करने के लिए भांडागार का एक अतिरिक्त निरीक्षण अपेक्षित है तो वह दूसरा भौतिक निरीक्षण कारित कर सकेगा और उसका संचालन आवेदक की लागत पर होगा ।

(6) यदि आवेदक को इस नियम के अधीन सुधारकारी उपायों के लिए समय दिया गया है और वह किए गए सुधारकारी उपायों के संबंध में प्राधिकरण को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार कर देगा ।

(7) यदि आवेदक उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना का प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है तो प्राधिकरण,--

(क) आवेदन को अस्वीकार कर देगा ; या

(ख) सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए अतिरिक्त समय अनुज्ञात करेगा ।

(8) प्राधिकरण उपनियम (6) के अधीन या उपनियम (7) के खंड (क) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् आवेदन को अस्वीकार करने के कारणों का कथन करते हुए आवेदक को एक आदेश जारी करेगा, जिसमें नियम 4 के उपनियम (4) या नियम 15, नियम 16, नियम 17, नियम 18, नियम 20 या नियम 21 के अधीन आवेदन और पात्रता अपेक्षाओं के बीच विनिर्दिष्ट विसंगतियों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना—(1) यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इन नियमों के अधीन पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह आवेदक को नियम 19 के अनुसार इक्कीस कार्यदिवस की कालावधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए लिखित या इलैक्ट्रानिकी संसूचना जारी करेगा ।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदन को अस्वीकार किया गया समझा जाएगा :

परंतु प्राधिकरण की यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक को उक्त 21 कार्यदिवस के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह उसे प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) यदि आवेदक नियम 19 के अनुसार प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण आवेदक को भांडागार के संबंध में चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में 5 कार्यदिवस के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्वामित्व को बनाए रखने या भांडागारपाल द्वारा संबंधित भांडागार पर सतत प्रभावी नियंत्रण रखने के अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के पश्चात् आवेदक भांडागार के संबंध में भांडागारपाल होगा और वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से भांडागार कारोबार संचालित करने का हकदार होगा ।

13. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण और उपांतरण—(1) भांडागारपाल भांडागार के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण या उपांतरण के लिए दूसरी अनुसूची में उपाबद्ध प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) नवीकरण के लिए आवेदन उसके रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) नवीकरण के लिए आवेदन के साथ तीसरी अनुसूची के अधीन यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी ।

(4) उन मामलों में, जहां भांडागार के लिए आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट सूचना में और उस भांडागार, जिसके लिए नवीकरण की ईप्सा की गई है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आवेदक उसकी पुष्टि करते हुए प्राधिकरण को एक पत्र भेजेगा ।

(5) भांडागारपाल या उस भांडागार, जिसके नवीकरण की ईप्सा की गई है, के संबंध में आवेदन में विनिर्दिष्ट किसी सूचना में कोई परिवर्तन है तो नवीकरण के लिए आवेदन दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण या उपांतरण के लिए प्रमाणपत्र चौथी अनुसूची में उपबंधित प्रारूप में होगा ।

(7) प्राधिकरण किसी भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा, यदि,--

(क) भांडागार के निरीक्षण या संपरीक्षा में अधिनियम, नियम, विनियम या उनके तदधीन जारी किसी अधिसूचना या प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के उल्लंघन का पता चलता है ; या

(ख) प्राधिकरण ने मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में यह अवधारित किया है कि भांडागारपाल ने विवादों का प्रभावोत्पादकता से समाधान नहीं किया है या ऐसे भांडागार के संबंध में मालों के परिदान की बाबत धारकों के साथ अनेक विवाद बकाया हैं ।

(8) प्राधिकरण उस भांडागार के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की ईप्सा की गई है, का निरीक्षण संचालित करने के लिए किसी बाह्य व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा यदि,--

(क) भांडागार का निरीक्षण नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर संचालित नहीं किया गया है ; या

(ख) भांडागार के निरीक्षण या संपरीक्षा में अधिनियम, नियम, विनियम या उनके तदधीन जारी किसी अधिसूचना या प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के उल्लंघन का पता चलता है ; या

(ग) ऐसे भांडागार के संबंध में मालों के परिदान की बाबत धारकों के साथ अनेक बकाया विवाद हैं।

(9) नियम 8 से नियम 11 के उपबंध इस नियम के अधीन किसी निरीक्षण को लागू होंगे।

(10) यदि प्राधिकरण को यह संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक इन नियमों के अधीन पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह भांडागारपाल को भांडागार के संबंध में, यथास्थिति, आवेदन या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के भीतर चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(11) इस नियम में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के उपांतरण को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में त्रुटियां ; और

(ख) भांडागार में भंडारित किए जाने वाले मालों में परिवर्तन।

14. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण—(1) यदि कोई भांडागारपाल एक या अधिक रजिस्ट्रीकृत भांडागारों के संबंध में भांडागार कारोबार को संचालित करने के रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की वांछा करता है तो वह ऐसे अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण को ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुरोध कर सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन अनुरोध का निपटान करते समय प्राधिकरण, भांडागारपाल से निम्नलिखित कारकों के संबंध में अपना समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा—

(क) भांडागारपाल के पास मालों के परिदान की कोई बाध्यता लंबित नहीं है, जिनके संबंध में उसने ऐसे रजिस्ट्रीकृत भांडागार से परक्राम्य भांडागार रसीद जारी की है ; और

(ख) रजिस्ट्रीकृत भांडागार, जिसके संबंध में, अनुरोध किया गया है, में जमा किए गए मालों के संबंध में कोई लंबित विवाद नहीं है।

(3) प्राधिकरण ऐसे भांडागारपाल से ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में सूचना की मांग कर सकेगा, जो उसके द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण को स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस नियम के अधीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है।

(5) यदि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण को स्वीकार करता है तो वह भांडागारपाल और अन्य पणधारियों को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जो उसके द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

(6) यदि भांडागारपाल एक या अधिक भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के पश्चात् अन्य भांडागारों से भांडागार कारोबार का संचालन जारी रखता है तो प्राधिकरण केवल ऐसे भांडागार के संबंध में प्रतिभूति जमा वापस करेगा, जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया गया है।

(7) भांडागारपाल किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार से, जिसके संबंध में उसने अभ्यर्पण का अनुरोध किया है, इस नियम के अधीन अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख से ही और जब तक वह इस नियम के अधीन अस्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं करता है, कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जारी नहीं करेगा।

IndiaCode

अध्याय 5

किसी भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता अपेक्षाएं

15. आवेदक की पहचान—(1) प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्थापित करने के लिए पांचवीं अनुसूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न होंगे ।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित को उपदर्शित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न होंगे--

(क) छठीं अनुसूची में यथावर्णित आवेदन में कथित भांडागार का स्वामित्व ; या

(ख) पहली अनुसूची के अनुसार आवेदन में कथित भांडागार का प्रभावी नियंत्रण ।

16. उचित और समुचित व्यक्ति—(1) प्राधिकरण यह जांच करेगा कि क्या आवेदक उचित और समुचित व्यक्ति है ।

(2) प्राधिकरण आवेदक को उचित और समुचित व्यक्ति मानेगा यदि आवेदक निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है—

(क) आवेदक या उसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा पूर्व पाँच वर्ष में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है ;

(ख) आवेदक या उसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ;

(ग) आवेदक या उसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित नहीं किया गया है ;

(घ) यदि आवेदक किसी व्यष्टि से भिन्न व्यक्ति है तो पांचवीं अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों में ये कथन किया जाना चाहिए कि निकाय के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भांडागार कारोबार करना है ;

(ङ) आवेदक या उसके सहबद्धों को प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अधीन कोई अन्य कृत्य नहीं सौंपा गया है ; और

(च) आवेदक ने इस प्रभाव की वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि भांडागार के संबंध में भांडागार कारोबार चलाने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है ।

17. बीमा—(1) आवेदक या भांडागारपाल के पास इस नियम के अधीन निर्दिष्ट जोखिमों को कवर करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति में बीमा कवर होगा ।

(2) भांडागार में जमा किए गए मालों के संबंध में आवेदक या भांडागारपाल के बीमा कवर में बीमा कवर कम से कम निम्नलिखित के लिए होगा—

(क) अग्नि ;

(ख) बाढ़ ;

(ग) सेंधमारी ;

(घ) दुरप्रयोजन ; और

(ङ) दंगें और हड़ताल ।

(3) यदि भांडागार केंद्रीय सरकार द्वारा उपद्रव ग्रस्त अधिसूचित क्षेत्र या मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र में अवस्थित है तो आवेदक को आतंकवाद के विरुद्ध बीमा कवर लेना होगा ।

(4) प्राधिकरण मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा बीमा के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त जोखिम और बीमा कवर करने की रीति सम्मिलित है, जिसकी भांडागारपाल से लेने की अपेक्षा होगी ।

(5) प्राधिकरण भांडागारपाल से इस नियम के अधीन अपेक्षित बीमा कवर के संबंध में आवधिक सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) आवेदक और भांडागारपाल इस नियम के अधीन बीमा अपेक्षाओं की अनुपालना को उपदर्शित करने के लिए प्राधिकरण को सभी बीमा पालिसियों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

IndiaCode

18. **न्यूनतम शुद्ध मूल्य** - (1) आवेदक संबंधित भांडागारों और आवेदक की सभी रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की क्षमता की कुल राशि के आधार पर सातवीं अनुसूची में यथा कथित न्यूनतम शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

(2) भांडागारपाल रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान सभी समयों पर सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं को बनाए रखेगा ।

(3) आवेदक प्राधिकरण को आवधिक रूप से शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं के अनुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराएगा ।

(4) प्राधिकरण दिशा निर्देशों के माध्यम से आवधिक अंतराल निर्धारित कर सकता है जिस पर भांडागारपाल शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं के अनुपालन सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

(5) आवेदक शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा –

(क) गत वित्तीय वर्ष के लिए संप्रेक्षित तुलन पत्र;

(ख) आवेदक के कानूनी संपरीक्षक द्वारा जारी अनंतिम शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र, परंतु गत वित्तीय वर्ष का संपरीक्षित तुलनपत्र बारह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) संपरीक्षा के अध्यधीन न रहने वाले व्यक्तियों के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित तुलन पत्र ।

19. प्रतिभूति जमा - (1) प्राधिकरण सभी पणधारियों के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवेदक या भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की रकम और रीति विनिर्दिष्ट करेगा किंतु भांडागारपाल जमा कर्ताओं द्वारा उनको जारी की गई परक्राम्य भांडागार रसीदों की वैधता की अवधि के भीतर संदेय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा ।

(2) आवेदक भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के दौरान प्राधिकरण द्वारा धारित किए जाने वाली प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा और उसे बनाए रखेगा ।

(3) भांडागारपाल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत प्रतिभूति जमा की रकम सभी समयों पर और ऐसी आवधिक अंतरालों पर जो समय-समय पर प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, इन नियमों के अनुपालन में है ।

(4) जब आवेदक या भांडागारपाल प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है या अद्यतन करता है तो प्राधिकरण ऐसे जमा की प्राप्ति की अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

(5) भांडागारपाल अपने विकल्प पर एक भांडागार से अधिक भांडागार के लिए संयुक्त प्रतिभूति जमा प्रस्तुत कर सकता है ।

(6) प्राधिकरण आवेदक या भांडागारपाल द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति जमा के बारे में पूर्ण अभिलेख बनाए रखेगा ।

(7) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार इन नियमों में प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित रकमों के प्रति भांडागारपाल द्वारा पहले से ही प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को समायोजित कर सकेगा ।

(8) प्राधिकरण प्रतिभूति जमा के बजाय प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित रकम का क्षतिपूर्ति बंधपत्र का उपबंध करने के लिए संसद या संसद के या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन सृजित किसी अस्तित्व को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(9) यदि प्राधिकरण क्षतिपूर्ति बंधपत्र के प्रस्तुतिकरण को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र के प्रारूप को विनिर्दिष्ट करेगा ।

(10) क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया कोई अस्तित्व रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत किए जाने को प्राधिकृत करने वाले उसके निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगा ।

(11) प्राधिकरण भांडागार के संबंध में प्रतिभूति जमा का प्रतिदाय करेगा, यदि-

(क) भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि भांडागारपाल ने इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बाध्यताओं का पालन किया है ;

(ख) भांडारगारपाल अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को लौटा देता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यार्पण को स्वीकार कर लेता है; या

(ग) भांडागार का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है और प्राधिकरण को इसकी संतुष्टि हो जाती है कि भांडागारपाल ने इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बाध्यताओं का निर्वहन किया है ।

20. भांडागार के लिए अवसंरचना अपेक्षाएं-(1) आवेदक समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना अपेक्षाओं सहित भांडागार के अनुपालन को प्रदर्शित करेगा ।

(2) प्राधिकरण उस रीति को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें आवेदक से इस नियम के अधीन उपवर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) प्राधिकरण अपना यह समाधान करने के लिए कि इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई जानकारी सही है, भांडागार का भौतिक निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा ।

(4) प्राधिकरण संबद्ध भांडागार के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक अनुदत्त नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि संबद्ध भांडागार इस नियम के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

21. मानक प्रचालक प्रक्रिया- (1) आवेदक को किसी भांडागार के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सभी भांडागारों के संबध में मानक प्रचालन प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

(2) आवेदक एक से अधिक भांडागारों या सभी भांडागारों के संबंध में एक समान मानक प्रचालन प्रक्रियाएं प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निम्नलिखित पहलुओं के लिए उपबंध करेंगी-

(क) माल के जमा और निकासी के लिए प्रक्रिया;

(ख) औद्योगिक मानकों के अनुसार जमा किए जाने वाले माल के तोलने, नमूने लेने की प्रक्रिया;

(ग) माल की गुणवत्ता के सत्यापन और जमा कर्ता को संसूचना की प्रक्रिया;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे रखने की प्रक्रिया जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए भांडागारपाल के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सके ;

(ड.) अग्नि, चोरी, सेंधमारी आदि से माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया;

(च) माल के वैज्ञानिक भंडारण, जिसके अंतर्गत चट्टा लगाना भी है, के लिए प्रक्रिया;

(छ) निम्नतम सामान्य कारक (उदाहरणार्थ लाट का आकार) तक भंडारित माल की स्पष्ट पहचान के लिए प्रक्रिया;

(ज) अग्नि, बाढ़, सेंधमारी, दुर्विनियोग, कपट, उपेक्षा और अपरिहार्य घटनाओं के कारण हुई हानियों का अवधारण करने के लिए प्रक्रिया;

(झ) स्टाक के आंतरिक सत्यापन के लिए प्रक्रिया;

(ञ) शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया;

(ट) कर्मचारियों (जिनके अंतर्गत आउटसोर्स किए गए कर्मचारी भी हैं) की भूमिका और उत्तरदायित्व ।

(4) मानक प्रचालन प्रक्रिया उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में ऐसी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करेगी जो प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 6

भांडागारपाल के लिए निष्पादन अपेक्षाएं

22. रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन-(1) कोई भांडागारपाल सभी समयों पर निम्नलिखित का अनुपालन करेगा –

(क) नियम 15 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित भांडागार का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की अपेक्षा ;

(ख) नियम 16 में यथा कथित मानदंड के अनुसार उचित और समुचित व्यक्ति होने की अपेक्षा;

(ग) नियम 17 में यथाकथित बीमा अपेक्षाएं;

(घ) नियम 18 के उपनियम (1) में यथाकथित न्यूनतम शुद्ध मूल्य संबंधी अपेक्षाएं;

(ड.) नियम 19 में प्रतिभूति जमा अपेक्षाएं;

(च) नियम 20 के अधीन यथा अपेक्षित अवसंरचना अपेक्षाएं; और

(छ) नियम 21 के अनुसार उसके मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन ;

(2) प्रत्येक भांडागारपाल इस नियम के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए समुचित आंतरिक प्रणालियां और नियंत्रण अपनाएगा;

23. मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन- (1) कोई भांडागारपाल हर समय रजिस्ट्रीकृत भांडागार के संबंध में नियम 21 के अंतर्गत प्रस्तुत उसकी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ,

(2) कोई भांडागारपाल यह सुनिश्चित करेगा कि वह मानक प्रचालन प्रक्रिया का अपना आंतरिक अनुपालन की निगरानी के लिए उपाय करता है।

(3) भांडागारपाल किसी भी समय उस समय को छोड़कर जब प्राधिकरण ने भांडागारपाल को निरीक्षण या अन्वेषण का निदेश दिया है, रजिस्ट्रीकृत भांडागार की बाबत मानक प्रचालन प्रक्रिया का उपांतरण कर सकेगा, उसे अद्यतन कर सकेगा या पुनरीक्षित कर सकेगा।

(4) भांडागारपाल ऐसी उपांतरित, अद्यतन या पुनरीक्षित की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया प्राधिकरण को ऐसे उपांतरण, अद्यतन या पुनरीक्षण के ठीक पश्चात् अविलम्ब प्रस्तुत करेगा।

(5) मानक प्रचालन प्रक्रिया के किसी उपांतरण, अद्यतन या पुनरीक्षण का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि प्राधिकरण को उसे न प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(6) प्राधिकरण किसी उपांतरण, अद्यतन या पुनरीक्षण तब तक स्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक कि वह नियम 21 के उपनियम (4) के अधीन उपबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा न करता हो।

(7) प्राधिकरण मानक प्रचालन प्रक्रिया के उपांतरण, अद्यतन या पुनरीक्षण के प्रारूप और रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

24. अपने जमा कर्ता को जानिए की अपेक्षाएं - (1) प्राधिकरण समय समय पर-

(क) जमा कर्ता द्वारा भांडागारपाल के पास माल जमा करने से पूर्व उसकी पहचान और पते को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज एकत्रित करने के लिए और ऐसे जमा कर्ता के नाम के प्रति जमा किए गए माल के किन्हीं खातों के खोलने या किन्हीं अभिलेखों को बनाए रखने के लिए ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को, जिनमें भांडागारपाल भी है, विनिर्दिष्ट कर सकेगा; और

(ख) वह रीति जिसमें ऐसी सूचना एकत्रित की जाएगी और जमा कर्ताओं के लिए कोई अन्य सुसंगत अपेक्षाएं तथा ऐसी सूचना एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

(2) उन दस्तावेजों की सूची जो जमा कर्ता की पहचान और पते के रूप में स्वीकार किए जा सकेंगे वे होंगे जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं

(3) प्राधिकरण मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा ऐसी सूचना एकत्रित करने का प्रारूप और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों या सूचनाओं के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो जमा कर्ता की पहचान और पते के स्वीकार्य सबूत के रूप में समझे जाएंगे।

25. भांडागारपाल की सामान्य बाध्यताएं - भांडागारपाल अपने भांडागारण कारोबार के संचालन में,-

(क) ऐसे माल, जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, के संबंध में ही परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा ;

(ख) भांडागारण धारणाधिकार के पुष्ट किए जाने के पश्चात् ही धारक द्वारा की गई मांग पर परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक को परक्राम्य भांडागार रसीद में निर्दिष्ट माल का परिदान करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि परक्राम्य भांडागार रसीद धारक भांडागारपाल से माल प्राप्त होने पर, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रारूप और रीति में माल की प्राप्ति को अभिस्वीकार करता है।

(घ) भांडागार में भंडारित माल की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

(ड.) ऐसी अपेक्षाओं, जो प्राधिकरण समय-समय विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार के प्रचालन से संबंधित सभी संव्यवहारों के अभिलेखों और लेखाओं के संपूर्ण और सही सेट बनाए रखेगा और अभिलिखित करेगा।

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक तालिका अभिलेख के साथ ठीक मेल खाती है।

(छ) सभी रजिस्ट्रीकृत भांडागार भंडारण स्थान का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगा;

(ज) प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण और संपरीक्षाओं के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

IndiaCode

(झ) प्रभावोत्पादक रूप से शिकायतों का समाधान करेगा

(ञ) भांडागार के उपयोग तथा उस तक पहुंच के बारे में जमाकर्ताओं में भेद नहीं करेगा

(ट) किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार में अपने स्वयं के माल को भांडारित नहीं करेगा; और

(ठ) अधिनियम के अधीन जब तक अनुमति न हो, किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार में जमा माल का ना तो विक्रय करेगा, हटवाएगा या उसका निपटान करेगा।

26. भांडागार रसीदों में अंतर्विष्ट सूचना:- भांडागारपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा जारी सभी भांडागार रसीदों, परक्राम्य या अन्यथा में अधिनियम की धारा 11 और तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन हो।

27. ई परक्राम्य भांडागार रसीद आधान में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण- (1) ऐसी तारीख से जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई भांडागारपाल भौतिक रूप में कोई परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी नहीं करेगा और इलेक्ट्रानिक रूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास एक या अधिक आधानों से रजिस्ट्रीकृत होगा।

(2) प्राधिकरण इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भांडागारपाल को पर्याप्त समय प्रदान करेगी।

28. सूचना का प्रकटन:- (1) भांडागारपाल, प्राधिकरण को निम्नलिखित घटनाओं में से किसी घटना का लिखित प्रकटन करेगा, अर्थात्:-

(क) भांडागारपाल के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के अन्दर;

(ख) भांडागारपाल के स्वामित्व या पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के अन्दर;

(ग) त्रैमासिक आधार पर भांडागारपाल के शुद्ध मूल्य में कोई परिवर्तन;

(घ) नियम 17 के उपनियम (2) में कथित घटनाओं में किसी घटना के घटित होने पर, उस घटना के पंद्रह दिन के भीतर;

(ड.) किसी भांडागार में जमा माल या जमा किए गए माल के संबंध में जारी परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में विवाद आरंभ होने पर तुरन्त;

(च) भांडागारपाल द्वारा प्रबंधित भांडागारों, चाहे वे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, के अवस्थान या क्षमता में कोई परिवर्तन होने पर तुरन्त।

(2) प्राधिकरण आदेश द्वारा भांडागारपाल से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कोई अतिरिक्त प्रकटन करे और ऐसे प्रारूप तथा रीति नियत करे जिसमें प्रकटन किया जाना अपेक्षित है।

29. भांडागार रसीदों के बारे में सूचना का प्रस्तुत किया जाना- (1) भांडागारपाल प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप और रीति में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक प्रारूप भी है, जो इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) इस नियम के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्टों में पूर्ववर्ती मास के संबंध में भांडागार रसीदों के निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे:-

(क) जारी की गई, उन्मोचित या रद्द की गई भांडागार रसीदों (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) की कुल संख्या ;

(ख) उसके कब्जे में जारी न की गई परक्राम्य भांडागार रसीदों , यदि कोई हों, की कुल संख्या;

(ग) ऐसे सभी माल की, जिसे भांडागारपाल ने भांडागार रसीदें (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) जारी की हैं, की वस्तुवार स्टॉक स्थिति ;

(घ) ऐसे सभी माल जिसे भांडागारपाल ने पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को भांडागार रसीदें (परक्राम्य और गैर परक्राम्य) जारी की हैं, का सकल बाजार मूल्य; और

(ड.) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखी गई परक्राम्य भांडागार रसीदें ।

(3) प्राधिकरण भांडागारपाल द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों या रजिस्ट्रीकृत भांडागारों में भांडागारपाल द्वारा भांडारित माल के बारे में अतिरिक्त सूचना की अपेक्षा कर सकेगा।

IndiaCode

अध्याय 7

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन

30. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन-(1) प्राधिकरण, भांडागारपाल को कारण बताओ सूचना जारी करने के पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों के उपबंधों या मार्गदर्शी सिद्धांतों या जारी की गई अधिसूचनाओं के उल्लंघन के लिए भांडागारपाल के भांडागार के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

(2) कारण बताओ सूचना के अंतर्गत निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे:-

(क) अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या विनियम की विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं जिनका भांडागारपाल या भांडागार उल्लंघन करता है ;

(ख) वह कार्रवाई जिसकी भांडागारपाल से ऐसे उल्लंघन का परिशोधन करने के लिए अपेक्षा की जाती है ;और

(ग) वह समय सीमा जिसके भीतर ऐसी सुधारक कार्रवाई की जा सकेगी।

31. निलंबन का प्रभाव – (1) प्राधिकरण ऐसे भांडागार के संबंध में निलंबन की अवधि के दौरान किसी परक्राम्य भांडागार रसीद के जारी किए जाने से भांडागार को लिखित में आदेश द्वारा रोक सकेगा।

(2) भांडागारपाल भांडागार के रजिस्ट्रीकरण की अवधि के निलंबन के दौरान उसके द्वारा पहले से ही जारी की गई परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करता रहेगा।

(3) प्राधिकरण भांडागार के निलंबन की अवधि के दौरान किसी बाह्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे भांडागार का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा।

32. निलंबन का वापस लिया जाना-(1) प्राधिकरण भांडागार के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का निलंबन वापस ले सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि भांडागारपाल ने नियम 30 के उपनियम (2) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है और भांडागारपाल को ऐसे विनिश्चय के बारे में तुरंत सूचित करेगा।

(2) भांडागारपाल जिसका भांडागारों के संबंध में निलंबन वापस ले लिया गया है निलंबन के वापस लिए जाने के पश्चात् ऐसे भांडागार से भांडागारण कारोबार को प्रारंभ कर सकेगा।

अध्याय 8

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

33. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण: (1) प्राधिकरण किसी भांडागार के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा, यदि,-

(क) भांडागार नियम 20 में उपवर्णित अवसंरचना अपेक्षाओं के उल्लंघन में है;

(ख) भांडागारपाल, भांडागार के स्वामित्व या उस पर प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने में अब समर्थ नहीं है;

(ग) भांडागारपाल नियम 16 के अनुसार अब उचित और समुचित व्यक्ति नहीं है;

(घ) भांडागारपाल नियम 18 के अधीन शुद्ध मूल्य अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है;

(ड.) भांडागारपाल इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए बारंबार निलंबित किया गया है;

(च) भांडागार के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया गया है और भांडागारपाल नियम 30 के उपनियम (2) के अधीन उसे जारी कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(छ) भांडागारपाल प्राधिकरण द्वारा बाह्य व्यक्ति द्वारा संचालित किसी जांच, निरीक्षण या संपरीक्षा में सहयोग नहीं करता है;

(ज) भांडागारपाल प्राधिकरण या बाह्य व्यक्तियों द्वारा संचालित किसी जांच, निरीक्षण या संपरीक्षा , के परिणामस्वरूप अपेक्षित किसी सुधार कार्रवाई का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(झ) भांडागारपाल के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने वाला आदेश एक बार से अधिक बार जारी किया गया है।

(2) प्राधिकरण इन नियम के अनुसार जांच कराने के पश्चात् ही भांडागार का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा अन्यथा नहीं।

(3) प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी इन नियम के अधीन भांडागारपाल को कारण बताओ सूचना जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे--

(क) अधिनियम या इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट की गयी अपेक्षाओं जिनका भांडागारपाल या रजिस्ट्रीकृत भांडागार उल्लंघन

करता है;

(ख) ऐसी जानकारी, जो प्राधिकरण को उल्लंघन के बारे में स्वयं सन्तुष्ट करने में समर्थ बनाएगी; और

(ग) वह समय-सीमा जिसके भीतर सूचना का उत्तर देगा ;

(4) प्राधिकरण या जांच अधिकारी जो उपनियम (3) के अधीन कोई जांच कर रहा है, भांडागारपाल को अनुमति देगा-

(क) कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए विनिश्चय करने में विचार की गई सभी सामग्री तक पहुंच;

(ख) ऐसी किसी सामग्री, जिसे कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए विनिश्चय करने में प्रयुक्त किए गए अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया था, तक पहुंच;

(ग) किसी ऐसे अभिलिखित निर्णयों या निष्कर्षों, जिन्हें प्राधिकरण ने कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए विनिश्चय करने में प्रयुक्त अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर लिया हो या निकाला हो, तक पहुंच को अनुज्ञात करेगा ।

(5) प्राधिकरण या जांच अधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या मार्गदर्शी सिद्धांतों या जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों को अनुपालन की समीक्षा करने के लिए किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा ऐसे भांडागार का निरीक्षण करवा सकेगा;

(6) जहां किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वहां ऐसा अधिकारी भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों और किए गए निवेदनों पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(7) उपनियम (6) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा--

(क) कारण बताओ सूचना की प्रति;

(ख) कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए विनिश्चय करने में विचार की गई सभी सामग्री;

(ग) कारण बताओ सूचना की बाबत जांच अधिकारी को भांडागारपाल द्वारा किए गए सभी पत्र व्यवहारों और निवेदनों की प्रति;

(घ) अन्वेषण के दौरान विचार की गई सभी सामग्री की प्रति;

(ङ) अन्वेषण के निष्कर्ष;

(च) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन भांडागारपाल द्वारा किए गए ऐसे विनिर्दिष्ट उल्लंघन जो उसे कार्रवाई के लिए दायी बनाते है; और

(छ) जांच अधिकारी या प्राधिकरण के पदाधिकारी का नाम यदि जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है ।

(8) प्राधिकरण, जांच रिपोर्ट के आधार पर या उसके समक्ष भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और किए गए निवेदनों के आधार पर आदेश जारी करेगा और उसे भांडागारपाल को संसूचित करेगा ।

(9) प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:--

(क) प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय;

(ख) ऐसी सामग्री जिस पर प्राधिकरण ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए विश्वास किया है;

(ग) ऐसा निर्णय करने का कारण;

(घ) ऐसा कोई अधिकार जिसे आवेदक मामले को अपील प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट करवाने के लिए प्राप्त कर सके; और

(ड.) ऐसे प्रतिनिर्देश की प्रक्रिया ।

(10) प्राधिकरण, ऐसे प्रत्येक भांडागार, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है की बाबत आदेश करेगा ।

34. रद्दकरण का प्रभाव-(1) भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से ही भांडागारपाल,--

(क) ऐसे भांडागारों की बाबत भांडागारण कारोबार नहीं करेगा, और

(ख) उसके द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की बाबत अपनी बाध्यताओं का निवर्हन करता रहेगा ;

(2) प्राधिकरण किसी ऐसे भांडागार, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्दकर दिया गया है, द्वारा किसी परक्राम्य भांडागार रसीदों के निर्गम को रोक सकेगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

35. परक्राम्य भांडागार रसीदधारकों को संभावित हानि की दशा में प्राधिकरण की शक्ति (1) यदि प्राधिकरण अवधारित करता है कि किसी भांडागारपाल द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जाने की संभावना नहीं है या उसने जमा माल की अभिरक्षा या नियंत्रण का त्याग करके या किसी अन्य रीति से जमा माल की मात्रा और गुणवत्ता परिरक्षित करने में अपनी असमर्थता संसूचित की है और जिसके लिये परक्राम्य

भांडागार रसीदें जारी की गई हैं, और ऐसे कार्य या लोप से उस माल जिसके विरुद्ध परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी की गई हैं की मात्रा और गुणवत्ता को हानि होना संभावित है , प्राधिकरण ऐसे माल की मात्रा और गुणवत्ता को परिरक्षित करने के प्रयोजन के लिए तत्काल ऐसे माल को नियंत्रण में ले सकेगा और प्रबंध कर सकेगा या नियंत्रण में ले सकेगा और परिसमाप्त कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(2) प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन केवल तभी कार्रवाई करेगा जब भांडागार का रजिस्ट्रीकरण, -

(क) निलंबित किया गया है; या

(ख) रद्द किया गया है; या

(ग) नवीकृत किया गया है; या

(घ) अभ्यर्पित किया गया है; या अभ्यर्पित किया जाना चाहा गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण, -

(क) सभी परक्राम्य भांडागार रसीद धारकों को तत्काल ऐसे भांडागारों के बारे में सूचित कर सकेगा और माल के परिदान लेने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा;

(ख) माल के नियंत्रण, प्रबंधन और समापन को लेने के लिए किसी बाह्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा; और

(ग) इस नियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई के खर्चे भांडागारपाल से वसूल सकेगा और असंदाय की दशा में भांडागारपाल का प्रतिभूति जमा समपहृत किया जा सकेगा।

36. सूचना अपेक्षित करने और इलैक्ट्रानिक रुप में संसूचित करने की शक्ति --प्राधिकरण, लिखित रुप में या इलैक्ट्रानिक रुप में आदेश द्वारा आवेदक, भांडागारपाल और किसी अन्य व्यक्ति से कोई रिपोर्ट या सूचना अपेक्षित कर सकेगा।

37. संक्रमण उपबंध - (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी भांडागार का रजिस्ट्रीकरण की शेष अवधि के लिए विधिमान्य बना रहेगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत भांडागार को इनके लागू होने के छह मास के भीतर नियम 22, 23, 24,25, 26, 27,28 और 29 में कथित अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व एक या अधिक भांडागारों के संबंध में प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई भांडागारपाल इनके लागू होने के 30 दिन के भीतर प्राधिकरण को निम्नलिखित देगा --

(क) अपने नियोजक का नाम, जो भांडागार कारोबार का स्वामी है, यदि भांडागार ऐसे स्वामी के स्वामित्वाधीन है;

(ख) अपने नियोजक का नाम, जो भांडागार कारोबार का स्वामी है, यदि भांडागार को ऐसे स्वामी द्वारा भाड़े या पट्टे पर लिया गया है; या

(ग) एक घोषणा कि वह भांडागार कारोबार का स्वामी है, यदि भांडागारपाल भांडागार कारोबार का स्वामी है।

(4) भांडागार कारोबार का स्वामी निम्नलिखित भी देगा ---

(क) भांडागारपाल की यह पुष्टि करते हुए एक घोषणा कि वह भांडागार कारोबार का स्वामी है और इस नियम के अधीन भांडागारपाल द्वारा दिए गए ब्यौरे सत्य और सही है; और

(ख) एक घोषणा कि वह नियत अवधि के भीतर इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन भांडागार कारोबार के स्वामी से घोषणा अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व भांडागारपाल है।

(6) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत भांडागार का रजिस्ट्रीकरण स्वत: ही व्यपगत हो जाएगा यदि भांडागार कारोबार का स्वामी इस नियम के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है।

पहली अनुसूची

[नियम (2) (1) (ड.) और 15(2)(ख) देखें]

आवेदक द्वारा संबद्ध भांडागार के प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज

आवेदक को संबद्ध भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अवश्य प्रस्तुत करना होगा –

(1) संबद्ध भांडागार के संबंध में पट्टा विलेख या भाटक करार या आवेदक के पक्ष में पट्टे या भाटक का साक्ष्य देने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति;

(2) उप-पट्टे की दशा में, पट्टा विलेख की यह उपदर्शित करते हुए प्रति कि उप-पट्टे पर देना अनुज्ञात है, और उप-पट्टा विलेख की एक प्रति । पट्टा विलेख द्वारा संबद्ध भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण सहित उप-पट्टा अनुज्ञात किया जाना आवश्यक है;

(3) संबद्ध भांडागार के संबंध में भांडागार का प्रबंध और कार्य करने के लिए आवेदक के स्पष्ट उत्तरदायित्व से राजस्व साझा करने वाला करार ;

(4) नगर निगम/पंचायत/स्थानीय निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि पर आवेदक के पक्ष में भांडागार के कारोबार का पालन करने के लिए यथास्थिति, नगर निगम//पंचायत/स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाणपत्र ;

(5) आवेदक के पक्ष में भूमि/भांडागार के विधिपूर्ण कब्जे को उपदर्शित करते हुए संबद्ध कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड से पट्टा दस्तावेज की प्रति; या

(6) आवेदक के पक्ष में भूमि/भांडागार के विधिपूर्ण कब्जे को उपदर्शित करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा आबंटन पत्र की प्रति ।

दूसरी अनुसूची

[नियम 4(1) और 13(1) देखें]

भांडागार के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

आवेदक या आवेदक का प्राधिकृत प्रतिनिधि जो आवेदन प्ररूप पर हस्ताक्षर करता है का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो

सेवा में,

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

.....

.....नई दिल्ली – 110016

विषय : तहसील/तालुका .....जिला.....में भांडागार के रजिस्ट्रीकरण/ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम.....(नाम).....(संगठन का नाम) .....जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....में है में.....(पदनाम) के रुप में कार्यरत भांडागार के कारोबार का पालन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/ नवीकरण के रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं/ करते हैं तथा तदनुसार निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ / करते हैं ।

I. आवेदक से संबंधित सूचना:

1.	आवेदक का नाम*	
2.	आवेदक का पता (कृपया पते का प्रमाण संलग्न करें)	
3.	ई-मेल	
4.	एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या मोबाइल नं.	
5.	क्या आवेदन वर्तमान भांडागारपाल के संबंध में है? यदि हां तो कृपया प्राप्त किए गए पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दी गई भांडागारपाल पहचान संख्या वर्णित करे।	
6.	सत्ता का प्रकार (कंपनी/पीएसयू/भागीदारी फर्म/सहकारी सोसायटी/सोसायटी/न्यास/व्यष्टि)	
7.	कृपया आवेदक की पहचान प्रमाण की प्रति दें। भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पांचवीं अनुसूची देखें) (यदि आवेदन किसी प्रकृत व्यक्ति (व्यष्टि) से अन्यथा सत्ता के संबंध में है तो संलग्न किए गए दस्तावेजों में से किसी एक में यह कथन किया गया होना चाहिए कि सत्ता का एक उद्देश्य भांडागार कारोबार का पालन करना है।	
8.	यदि आवेदन आवेदक के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि (किसी प्रकृत व्यक्ति/व्यष्टि से अन्यथा) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो कृपया प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, ई-मेल और फोन/मोबाइल नं. उपदर्शित करें तथा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पांचवीं अनुसूची के क्रमसंख्या 1 के अनुसार पते के प्रमाण और निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज की प्रति संलग्न करें :	
	(i) मुख्तयार नामा ;	
	(ii) प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड का संकल्प;	
	(iii) प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार पत्र प्रदान करते हुए व्यक्ति के पक्ष में बोर्ड संकल्प ; या	
	(iv) यथास्थिति, न्यास, सोसायटी, भागीदारी फर्म के शासी निकाय से प्राधिकार पत्र (शासी निकाय ऐसे संगठन द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत निगमन दस्तावेजों के अधीन गठित निकाय होगा) ।	
9.	आवेदित भांडागार को समाविष्ट करते हुए बीमा पालिसियों के ब्यौरे भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार। कृपया बीमा पालिसियों की फोटो प्रतियां संलग्न करें।	
10.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सत्ता की नेट-वर्थ (कृपया भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 18 (5) के अनुसार प्रमाण संलग्न करें।)	

MediaCode

11	कृपया भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 21 के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया का एक सैट संलग्न करें।	
12.	भांडागारों की संख्या जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया है	

(टिप्पण – यदि आवेदन किसी वर्तमान भांडागार पाल के संबंध में है और क्रमसंख्या 1-11 में कोई परिवर्तन नहीं है तो केवल क्रमसंख्या 1, 5 और 12 ही भरी जानी है। तथापि, क्रमसंख्या 1-11 पर सूचीबद्ध विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में वह भी दिया जाएगा।)

II **भांडागार जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है के संबंध में जानकारी:**

(प्रत्येक भांडागार के लिए पृथक्कत: प्रस्तुत की जानी है)

1. भांडागार का नाम .....

2. भांडागार के ब्यौरे :

(i)	पिन कोड सहित भांडागार का पूरा पता, दूरभाष-एसटीडी कोड सहित लैंड लाइन, मोबाइल और फैक्स नं.	
(ii)	भांडागार के निर्माण का वर्ष	
(iii)	क्या भांडागार/साइलो का निर्माण बीआईएस/सीडब्लूसी /एफ सी आई मानकों के अनुसार किया गया है? यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
(iv)	क्या भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) का निर्माण एनएचबी/एनएचएम/एसएचएम/ एनसीसीडी/एम ओ एफ पी आई/एपीईडीए/ राज्य सरकार सन्नियमों के अनुसार किया गया है? यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
(v)	गोदामों या भंडारण एककों की संख्या**	
(vi)	भांडागार की कुल क्षमता (एम टी)	
(vii)	गोदामों/भंडारण एककों** के आयाम (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) (बिन की दशा में अर्द्धव्यास X ऊंचाई) मीटरों में	
(viii)	गोदाम/भंडारण एककों की प्लिंथ की ऊंचाई**	
(ix)	क्या भांडागार स्वामित्वाधीन/किराए पर लिया हुआ/पट्टे पर लिया हुआ है (भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की छठी और पहली अनुसूची के अनुसार दस्तावेजी स्रोत संलग्न करें)	
(x)	यदि किराए/पट्टे पर लिया हुआ है तो किराए पर लेने/पट्टे पर लेने की अवधि दर्शाएं।	
(xi)	अधिकारिता वाले पुलिस थाने का नाम और भांडागार से दूरी	
(xii)	निकटतम अग्निशमन केंद्र (अग्निशमन केंद्र का नाम) से दूरी	
(xiii)	भांडागार के लिए प्रवेश और निर्गम बिंदुओं की संख्या और नियोजित सुरक्षा गार्डों की संख्या	
(xiv)	क्या भांडागार किसी कंपाउंड दीवार/कंटीली तारों की फैंसिंग से घिरी है	
(xv)	सुरक्षा व्यवस्था के ब्यौरे। कृपया अभिनियोजित सुरक्षा गार्डों की संख्या के ब्यौरे दें।	

(xvi)	अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के ब्यौरे (अग्नि शमन यंत्रों, अग्निशमन बाल्टियों, जल व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा अलार्मों और किसी अन्य उपायों इत्यादि की संख्या और प्रकार (सूची संलग्न करें)	
(xvii)	भांडागार में रखे गए माल को तोलने के लिए उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
(xviii)	क्या भांडागार में लॉरी वेहब्रिज उपलब्ध है ? यदि हां, तो कृपया उसकी क्षमता, निर्माण, प्रतिष्ठापन की तारीख और अंतिम बार स्टैंपिंग की तारीख दर्शाएं।	
(xix)	यदि भांडागारमें वेहब्रिज उपलब्ध नहीं है तो कृपया तौल हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नजदीकी वेहब्रिज के स्वामी का नाम और पता दर्शाएं। उसकी क्षमता, निर्माण, प्रतिष्ठापन की तारीख और अंतिम बार स्टैंपिंग की तारीख और भांडागार से उसकी दूरी दर्शाएं।	
(xx)	भांडागार में उपलब्ध माल को परखने के लिए उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
(xxi)	क्या भांडागार के कारोबार का पालन करने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है?	
(xxii)	कृपया भांडागार में स्टाफ के ब्यौरे दें।	

नाम	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	भांडागार में अनुभव के ब्यौरे

(xxiii)	भंडारित/भंडारित किए जाने के लिए प्रस्तावित माल, जिसके लिए एनडब्लूआर जारी की जानी है।	
(xxiv)	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 5 और तीसरी अनुसूची के अनुसार भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण फीस के ब्यौरे	रकम ....रुपये मांगदेय ड्राफट सं..... तारीख..... ऑन लाइन संदाय की दशा में, यूटीआर/संव्यवहार संख्या बैंक का नाम.....

* कंपनी/पीएसयू/भागीदारी फर्म/सहकारी सोसायटी/सोसायटी/न्यास/व्यष्टि

** कोल्ड स्टोरेज की दशा में चैंबर, साइलो की दशा में बिन

IndiaCode

घोषणा:

1. मैं/हम भांडागार के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने के लिए संगठन का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता हूं/करते हैं।

2. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें या किसी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी भी समय पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

3. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें या किसी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा अनुन्मोचित दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

4. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें या किसी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला घोषित नहीं किया गया है।

5. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें या किसी सहबद्ध व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अधीन किसी अन्य कृत्य का पालन का कार्य नहीं सौंपा गया है।

6. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि सत्ता का एक उद्देश्य भांडागार कारोबार का पालन करना है और वचनबद्ध होता हूं/होते हैं कि संबद्ध भांडागार के संबंध में भांडागार के कारोबार का पालन करने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है।

7. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर विनिर्दिष्ट भांडागार के कारोबार का पालन करने के लिए उपयुक्त हैं और यह अच्छी दशा में है तथा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 20 के अनुसार सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

8. मैं/हम सूचना के प्रकटीकरण के लिए (नियम 28) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने और भांडागार प्राप्तियों (नियम 29) पर मासिक सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध होता हूं/होते हैं।

9. मैं/हम रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम वचनबंध करता हूं/करते हैं कि यदि डब्ल्यूडीआरए संबद्ध भांडागार को रजिस्ट्रीकृत करने का विनिश्चय करता है तो प्रतिभूति जमा की अपेक्षित रकम संदत्त की जाएगी।

11. मैं/हम, मेरे/हमारे प्रभावी नियंत्रण के अधीन भांडागार का भौतिक निरीक्षण/ या कोई अन्य निरीक्षण संचालित करने के लिए प्राधिकरण को या प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी बाहरी व्यक्ति को पूरा सहयोग देने की सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं।

12. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें यहां दी गई समस्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि यह असत्य साबित होती है तो ; मैं/हम ऐसी झूठी या असत्य जानकारी से उद्भूत किसी हानि के विरुद्ध इस कारोबार में संबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने और रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का वचनबद्ध होता हूं / होते हैं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

पता.....

तारीख:

स्थान:

अनुलग्नक : आवेदन और जांच सूची के अनुसार

टिप्पण :

रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन की दशा में :-

(क) प्रकृत व्यक्ति (व्यष्टि) से अन्यथा सत्ताओं की दशा में प्राधिकृत प्रतिनिधि का श्रेणी-।।। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) संलग्न किया जाएगा । प्रकृत व्यक्ति (व्यष्टि) की दशा में, श्रेणी-।।। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) या आधार रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नं. के माध्यम से आधार आधारित एक बार पासवर्ड (ओटीपी) और सत्यापन अपेक्षित होगा ।

(ख) क्रम सं. (xvi), (xvii) और (xx) के संबंध में जानकारी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन डेटा एंट्री फारमेट के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जाएंगे ।

भांडागार के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं.	**संलग्न दस्तावेज**	**संलग्न**
1.	व्यष्टि/प्राधिकृत प्रतिनिधि के फोटो चिपकाए हुए विहित प्रारूप में आवेदन	हां/नहीं
2.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पांचवीं अनुसूची में यथापेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण	हां/नहीं
3.	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं	हां/नहीं
4.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 18 (5) के अधीन यथापेक्षित नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज	हां/नहीं
5.	भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 के नियम 17 के अधीन यथाविहित बीमा पालिसियों की प्रति	हां/नहीं
6.	भांडागार का ले-आउट प्लान	हां/नहीं
7.	भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) की दशा में बेसिक डाटाशीट	हां/नहीं
8.	तकनीकी मानकों जिनके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) निर्मित किया गया के बारे में सबूत	हां/नहीं
9.	माल को परखने के लिए उपस्करों की सूची	हां/नहीं
10.	माल को तोलने के लिए उपस्करों की सूची	हां/नहीं
11.	अग्नि सुरक्षा व्यवस्था	हां/नहीं
12.	यदि भांडागार स्वामित्वाधीन है: भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर संबद्ध भांडागार अवस्थित है अधिकारों के अभिलेख या रजिस्ट्रीकृत हक विलेख	हां/नहीं
13.	भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण, नियम 2017 की पहली अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कोई : (i) पट्टा अभिलेख या भाटक करार, (ii) उप-पट्टा करार और यह उपदर्शित करता हुआ पट्टा अभिलेख कि उप-पट्टे पर देना अनुज्ञात है, (iii) राजस्व साझा करने वाला करार, (iv) यथास्थिति, नगरनिगम/पंचायत/स्थानीय निकाय से एन ओ सी, (v) संबद्ध एपीएमसी से पट्टा करार, (vi) राज्य सरकार से आबंटन पत्र की प्रति । आवेदन में सूचीबद्ध प्रत्येक भांडागार के लिए पृथक्कत: ।	हां/नहीं
14.	रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के समर्थन में मानदेय ड्राफ्ट या बैंक संव्यवहार स्लिप की प्रति	हां/नहीं
15.	विद्यमान/पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (नवीकरण की दशा में)	हां/नहीं

IndiaCode

तीसरी अनुसूची

[नियम 4, 13 (4) देखें]

प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए फीस

रजिस्ट्रीकरण इकाई	फीस
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है	20,000 रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक है, लेकिन 25,000 टन से कम या समान है	25,000 रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है	30,000 रुपए

जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई कृषि उत्पादक संगठन या सहकारी है, वहां फीस 5,000 रुपए प्रति भांडागार होगी ।

चौथी अनुसूची

(नियम 12(3) और 13(2) तथा (10) देंखे)

भांडागार रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण प्रमाणपत्र

(भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन)

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

.....से.....तक विधिमान्य

1. भांडागारपाल का नाम-(कंपनी, भागीदारी फर्म, सोसाईटी, न्यास, व्यष्ठि के रूप में लागू)

2. भांडागार का पता-

3. भांडागारपाल की पहचान संख्या-

4. गोदान/भंडार ईकाईयों की संख्या(यदि एक से अधिक हो)-

5. भांडागार की रजिस्ट्रीकृत क्षमता-

6. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें-

(क) भांडागारपाल, भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनाये गए सभी नियमों तथा विनियमों के अधीन सभी अपेक्षाओं के, साथ-साथ डब्ल्यूडीआरए द्वारा समय-समय पर जारी किन्ही मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए सहमत हो।

(ख) माल, जिसका रजिस्ट्रीकरण परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने के प्रयोजन के लिए प्रदान किया जाता है-

(i)

(ii)

(iii)

(iv).....

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपरोक्त उल्लिखित मालों के लिए.....से.....तक के लिए और केवल इस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर विधिमान्य होगा।

(घ) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भांडागारपाल के अभ्यावेदन पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत सूचना सत्य और सही है, प्रदान किया जाएगा यदि कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाती है तो प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकेगा ।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण अन्तरणीय नहीं होगा।

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/परिपत्रों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निलंबित या रद्द किए जाने के लिए दायी होंगे।

(छ) यदि निलंबित या रद्द कर दिए जाए, प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसहृत करेगा या अभ्यर्पण की मांग करेगा और भांडागारपाल प्रतिसहरण या अभ्यर्पण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट उन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन में कार्य करेगा।

*प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर-

*प्राधिकारी की मुद्रा-

*तारीख-

*स्थान

पाचवीं अनुसूची

(नियम 15 देखे)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले पहचान और पते का प्रमाण

आवेदक की पहचान और पते को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विधिमान्य दस्तावेज माने जाएगे-

1.यदि आवेदक प्राकृतिक व्यक्ति है, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक की अनुप्रमाणित प्रति;

(i) आधार कार्ड;

(ii) स्थाई खाता संख्या (पेन) कार्ड (केवल पहचान प्रमाण के रूप में);

(iii) चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस);

(iv) पासपोर्ट; या

(v) पोस्ट ऑफिस/किसी अनुसूचित बैंक की फोटो के साथ चालू पासबुक।

2. यदि आवेदक कंपनी है, निम्नलिखित की अनुप्रमाणित प्रति-

(i) निगमन का प्रमाणपत्र;

(ii) संगम ज्ञापन;

(iii) संगम अनुच्छेद; और

(iv) पैन कार्ड।

3. यदि आवेदक एक भागीदारी फर्म है, निम्नलिखित दोनों की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा:

(i)भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रीकृत विलेख/ भागीदारी फर्म का विवरण/ भागीदारी फर्म; और

(ii)भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

4. यदि आवेदक एक सोसाईटी है, निम्नलिखित दोनों की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा-

(i) सोसाईटी का संगम ज्ञापन; और

(ii) सोसाईटी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

5. यदि आवेदक एक न्यास है, न्यास की रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा |

IndiaCode

छठी अनुसूची

(नियम 15(2)(क) देंखे)

आवेदक द्वारा संम्बद्ध भांडागार का स्वामित्व प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज

आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज संबंध भांडागार के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत करेगा:

(क) भूमि जिस पर संबंध भांडागार अवस्थित है, के अधिकार अभिलेख की प्रति; या

(ख) यदि अधिकार अभिलेख उपलब्ध नही है, भूमि जिस पर संबंध भांडागार अवस्थित है, के संबंधं में रजिस्ट्रीकृत हक विलेख।

सातवीं अनुसूची

(नियम 18(1) और (2))

प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम शुद्ध मालियत अपेक्षाए

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ रूपये में)
1000 से कम	0.5
1,001 - 5000	2.5
5,001 - 10,000	5
10,001 - 25,000	10
25,001 - 75,000	20
75,001 - 1,50,000	30
1,50,001 - 5,00,000	50
5,00,001 और अधिक	100

IndiaCode

जहां आवेदक/भांडागारपाल किसान उत्पादक संगठन या सहकारी है, शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

आठवीं अनुसूची

(नियम 24(2) देंखे)

अपने जमाकर्ता को जानिये प्रक्रिया के लिए अपेक्षित दस्तावेज

(अ) जमाकर्ता की पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएगे:

(1) यदि जमाकर्ता व्यष्ठि है, उससे संबंधित पहचान के निम्नलिखित प्रमाण पर्याप्त होंगे:

(क) आधार कार्ड;

(ख) स्थायी खाता संख्या कार्ड;

(ग) चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस);

(घ) पासपोर्ट;

(ङ) ग्राम पंचायत से फोटो और पते के साथ प्रमाणपत्र;

(च) ग्राम पंचायत और उसके समतुल्य प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए);

(छ) डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी फोटों के साथ पता कार्ड;

(ज) पोस्ट ऑफिस/किसी अनुसूचित बैंक की फोटो के साथ चालू पासबुक;

(झ) फोटों के साथ किसान पास बुक; या

(ञ) मतदाता पहचान पत्र।

(2) यदि जमाकर्ता एक कंपनी है, उसका-

(क) निगमन का प्रमाणपत्र;

(ख) कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को मालों के जमा के लिए प्राधिकृत करने वाला पत्र; और

(ग) पैरा (अ) (1) के अनुसार पत्र में प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाण ।

(3) यदि जमाकर्ता एक भागीदारी फर्म है, उसका-

(क) भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रीकृत पता दर्शाने वाला दस्तावेज;

(ख) भागीदारी फर्म की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को मालों के जमा के लिए प्राधिकृत करने वाला पत्र; और

(ग) पैरा (अ) (1) के अनुसार पत्र में प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाण ।

(4) यदि जमाकर्ता एक न्यास है, उसका-

(क) न्यास का रजिस्ट्रीकृत पता दर्शाने वाला दस्तावेज;

(ख) न्यास की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को मालों के जमा के लिए प्राधिकृत करने वाला पत्र; और

(ग) पैरा (अ) (1) के अनुसार पत्र में प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाण ।

(5) यदि जमाकर्ता एक सोसाईटी है, उसका-

(क) सोसाईटी का रजिस्ट्रीकृत पता दर्शाने वाला दस्तावेज;

(ख) सोसाईटी की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को मालों के जमा के लिए प्राधिकृत करने वाला पत्र; और

(ग) पैरा (अ) (1) के अनुसार पत्र में प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाण ।

(आ) जहां इस अनुसूची में उल्लिखित कोई दस्तावेज जमाकर्ता का पता अन्तर्विष्ट करता है, उसे भी जमाकर्ता के पते के सबूत के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमाकर्ता के पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा:-

(क) पोस्ट ऑफिस का खाता विवरण/पासबुक;

(ख) बैक का विवरण/पासबुक;

(ग) राशन कार्ड;

(घ) सरकारी फोटों पहचान पत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी सेवा फोटों पहचान पत्र;

(ङ) बिजली का बिल (जो तीन मास से पुराना न हो);

(च) पानी का बिल (जो तीन मास से पुराना न हो);

(छ) दूरभाष (मोबाईल/लैंडलाईन) बिल (जो तीन मास से पुराना न हो);

(ज) संपति कर रसीद (जो तीन मास से पुरानी न हो);

(झ) क्रेडिट कार्ड विवरण (जो तीन मास से पुराना न हो);

IndiaCode

(ञ) बीमा पॉलिसी;

(ट) आयुद्ध अनुज्ञप्ति;

(ठ) पेंशन कार्ड;

(ड) स्वतंत्रता सेनानी कार्ड;

(ढ) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम/भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड;

(ण) संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा अपने लैटरहैड पर मय फोटों पता का प्रमाणपत्र;

(त) आय-कर निर्धारण आदेश;

(थ) यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(द) रजिस्ट्रीकृत विक्रय/पट्टा/किराया करार;

(ध) संबंध राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी निर्योग्यता कार्ड/विकलांग चिकित्सा प्रमाणपत्र;

(न) गैस कनेक्शन बिल (जो तीन मास से पुराना न हो)।

(इ) कोई अन्य दस्तावेज जिसे प्राधिकरण समय-समय पर पहचान और पते के सबूत के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

(ई) यदि जमाकर्ता ने पहले ही अपनी "अपने जमाकर्ता को जानिये" प्रक्रिया पूरी कर ली है, इस अनुसूची में अपेक्षित सूचना चाहने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

[फा. सं. टीएफसी/4/2016]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

G.S.R.165(E). — In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and in supersession of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for better and effective regulation and supervision of registered warehouses, namely:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context requires otherwise, –

(a) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007);

(b) "affiliate" means —

(i) applicant's key managerial persons or any of their relatives who are key managerial persons;

(ii) a company in which the applicant or any of its key managerial persons is a member or director;

(iii) any person on whose advice, directions or instructions the applicant or any of its key managerial persons

is authorised to act, except where the advice, directions or instructions are given in a professional capacity;

(iv) if the applicant is an individual, a relative of the applicant;

(v) if the applicant is a company, any company which is —

(1) a holding, subsidiary or an associate company of the applicant; or

(2) a subsidiary of a holding company to which the applicant is also a subsidiary;

(c) "applicant" means a person or a warehouseman who makes an application for registration or renewal or modification to the Authority under rule 4 or rule 13;

(d) "associate company" in relation to another company, means a company in which that other company has control of at least twenty per cent of total share capital, or of business decisions under an agreement, but which is not a subsidiary of the company having such influence and includes a joint venture company;

(e) "effective control" means the ability of an applicant or a warehouseman to demonstrate physical possession and complete operational control with respect to a warehouse concerned through document specified in the First Schedule;

(f) "external person" means a person, including an inspection agency, who is —

(i) independent of the Authority;

(ii) not an applicant or a warehouseman, or a relative or an affiliate of an applicant or a warehouseman; and

(iii) assigned, by the Authority, the responsibility of performing any functions under these rules, regulations, guidelines or circulars made under the Act;

(g) "holding company", in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies;

(h) "key managerial person", in relation to an applicant or a warehouseman, means, —

(i) if the applicant is a partnership firm, each of the partners mentioned in its registered partnership firm deed;

(ii) if the applicant is a trust, the settler of the trust and each member of the board of trustees;

(iii) if the applicant is a society, the president, secretary and treasurer of the society and each member of its governing body;

(iv) if the applicant is a company, –

(A) the Chief Executive Officer or the Managing Director;

(B) the Company Secretary;

(C) a Director; and

(D) the Chief Financial Officer;

(i) "net worth" means, –

(i) for a company, the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;

(ii) for a partnership firm, individual, society or sole proprietorship, the aggregate value of paid up capital and the free reserves;

(j) "noticee" means a person to whom a show cause notice or an order is issued;

(k) "registered warehouse" means a warehouse in respect of which a certificate of registration has been issued to the warehouseman by the Authority for carrying out the warehousing business;

(l) "relative" means a person who bears any of the following relationships with an individual, if, —

(i) he is a member of the same Hindu Undivided Family;

(ii) they are husband or wife;

(iii) related by affinity or consanguinity within the specified degree as determined under any law for the time

IndiaCode

being in force, or individuals in a step or adoptive relationship within such specified degree;

(m) "show cause notice" means a written or electronic notice issued by the Authority which —

(i) states the action that the Authority proposes to take;

(ii) states the causes requiring the proposed action; and

(iii) provides the time limit within which such notice shall be replied to;

(n) "standard operating procedure" means information covering the processes, actions and responsibilities with regard to the aspects prescribed under rule 21;

(o) "subsidiary" in relation to any other company (that is to say the holding company), means a company in which the holding company directly or indirectly through another subsidiary —

(i) controls the composition of the board of directors, such control being implied in cases where the company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the directors; or

(ii) exercises or controls more than one-half of the total share capital either on its own or together with one or more of its subsidiary companies;

(p) "warehouse concerned" means the warehouse in respect of which an application of registration is made by an applicant.

(2) The words and expressions used herein but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER 2

COMMENCEMENT OF WAREHOUSING BUSINESS

3. Registration with Authority. - (1) The Authority shall grant a certificate of registration under sub-section (3) of section 4 of the Act to a person with respect to a warehouse, if, –

(a) a person has submitted an application under rule 4; and

(b) the Authority is satisfied that the person has fulfilled the requirements as specified in these rules.

(2) A person having its warehouse registered as a warehouseman may make an application for registration of more warehouses.

IndiaCode

CHAPTER 3

PROCESS OF APPLICATION FOR REGISTRATION

4. Filing of application. - (1) A person desirous of commencing or carrying on the business of maintaining warehouse issuing negotiable warehouse receipt may make an application for registration of the warehouse to the Authority in accordance with these rules in the Form appended in the Second Schedule.

(2) An applicant may submit an application in respect of one or more warehouses, either owned by him, or under his effective control.

(3) The applicant may submit the application to the Authority in electronically or in such manner as may be specified by the Authority.

(4) An application shall be treated as complete if, –

(a) the application is submitted in the form and manner specified under sub-rule (1);

(b) the application contains all documents specified under rules 15, 16, 17, 18, and 21; and

(c) the application is accompanied with the fees as specified in rule 5.

(5) The Authority may call for additional information from the applicant or warehouseman if it considers necessary to ascertain the eligibility of the applicant under these rules.

5. Fees for application.- The applicant shall pay a non-refundable application fee to the Authority as specified in the Third Schedule.

6. Acknowledgment of application.- (1) The Authority shall send an acknowledgement to the applicant within three working days of receipt of the application for registration.

(2) Mere receipt of the application for registration or issuance of an acknowledgement by the Authority under sub-rule (1) shall not bind the Authority to issue a certificate of registration to the applicant.

CHAPTER 4
PROCESS FOR EXAMINATION OF APPLICATION AND REGISTRATION

7. Examination of application.- (1) The Authority shall examine the application for registration of a warehouse, within ten working days of its receipt, so as to determine as to whether —

(a) the application is complete, as per the requirement of sub-rule (4) of rule 4; and

(b) the applicant fulfils the eligibility requirements stated under rules 15,16,17,18 and 21.

(2) The Authority may, if it finds that the applicant does not fulfill the requirements stated under sub-rule (4) of rule 4 or rule 15, 16, 17, 18 or 21, reject an application before a communication for physical inspection is issued.

(3) where the Authority has issued a communication for physical inspection under rule 8, it may reject the application on the basis of the examination of the inspection report.

(4) The Authority shall not reject an application unless it follows the procedure provided under rule 11.

8. Inspection of warehouse.- (1) The Authority may, by itself or through an external person, conduct a physical inspection of the warehouse.

(2) The Authority shall require a physical inspection of the warehouse listed in the application by sending a written or electronic communication to such effect to the applicant.

(3) The written or electronic communication under sub rule (2) shall include the details of –

(a) the warehouse to be inspected;

(b) if external person has been assigned to perform the physical inspection, details of such external person; and

(c) any other details as may be required to be communicated to the applicant.

(4) The Authority, through guidelines, shall specify the procedure for empanelment of the external person to conduct inspections.

(5) The Authority shall, by order, specify the amount of inspection fee and the manner of payment of such fee to the external person for carrying out the inspection of the warehouse and warehouseman, as the case may be.

9. Process of physical inspection for registration.- (1) The Authority or the external person shall conduct the physical inspection and collect information of physical parameters of the warehouse as per the requirements under rule 20 and any other requirement specified by the Authority, to the satisfaction of the Authority, and submit an inspection report to the Authority in such form as may be determined by the Authority through guidelines from time to time. .

(2) The external person shall complete the physical inspection of the warehouse of the applicant within twenty one working days of issuance of letter by the Authority.

(3) The Authority shall send a copy of the inspection report to the applicant within ten working days of the date of receipt of the physical inspection report from the external person.

10. Examination of physical inspection report.- (1) The Authority shall, within ten working days, examine the inspection report submitted under rule 9.

(2) If the Authority is satisfied on the basis of application and the physical inspection report, that the warehouse does not meet the eligibility criteria under these rules, it shall reject the application, subject to the provisions of rule 11.

11. Process for rejection of application.- (1) The Authority shall issue a notice to the applicant if it proposes to reject its application.

(2) The notice shall provide at least fifteen working days to such applicant to make representations to the Authority.

(3) The opportunity to make representations to the Authority under sub-rule (2) shall include a hearing before the concerned officer of the Authority, either in person or through written or electronic communication, as required in the notice.

IndiaCode

(4) The Authority may allow an applicant to whom a notice has been issued, reasonable time as specified by the Authority to undertake corrective measures, and to revise its application, so that the applicant may meet the eligibility criteria as provided under these rules.

(5) If the Authority deems that an additional inspection of the warehouse is required to satisfy itself with respect to such corrective measures, it may cause a second physical inspection that shall be conducted at the cost of the applicant.

(6) If the applicant has been given time for corrective measures under this rule, and fails to satisfy the Authority about the corrective measures undertaken, the Authority shall reject the application.

(7) If the applicant has failed to reply to the notice within the period specified under sub-rule (2), the Authority shall, -

(a) reject the application; or

(b) allow additional time for replying to the notice.

(8) The Authority, after following the procedure provided under sub-rule (6) or clause (a) of sub-rule (7) , shall issue an order to the applicant stating reasons for rejecting the application, which shall also include details of the specific discrepancies between the application and the eligibility requirements under sub-rule (4) of rule 4 or rule 15, 16, 17, 18, 20 or 21.

12. Grant of certificate of registration .- (1) If the Authority is satisfied that the applicant meets the eligibility requirements under these rules, it shall issue a written or electronic communication to the applicant asking it to submit the security deposit in accordance with rule 19 within a period of twenty - one working days.

(2) If the applicant fails to submit the security deposit within the period specified under sub-rule (1), the application shall be deemed to have been rejected.

Provided that the Authority may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from submitting the security deposit within the said twenty-one working days, allow him to submit the security deposit.

(3) If the applicant submits the security deposit in accordance with rule 19, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant in respect of the warehouse to the applicant within five working days in the form specified in the Fourth Schedule.

(4) The certificate of registration issued under sub-rule (3) shall be valid for a period of five

years from the date of issuance of the certificate, subject to the maintenance of ownership or continuous effective control over the warehouse concerned by the warehouseman.

(5) After the grant of certificate of registration under this rule, the applicant shall be a warehouseman in respect of the warehouse, and be entitled to conduct the warehousing business from the date of issuance of the certificate of registration.

13. Renewal and modification of registration.- (1) A warehouseman may submit an application for renewal or modification of the certificate of registration of warehouse in the form appended in the Second Schedule.

(2) The application for the renewal shall be submitted at least three months prior to the expiry of its registration.

(3) An application for renewal shall be accompanied with the fee as specified under the Third Schedule.

(4) In case there is no change in any information specified in the application form for the warehouseman and the warehouse for which renewal is sought, the applicant shall send a letter confirming the same to the Authority.

(5) In case of change in any information specified in the application form pertaining to the warehouseman or the warehouse for which renewal is sought, an application for renewal shall be submitted in the form specified in the Second Schedule.

(6) The certificate of registration, renewal or modification shall be in the form provided in the Fourth Schedule.

(7) The Authority may reject an application for the renewal of registration of a warehouse, if, -

(a) inspection or audit of the warehouse has revealed violations of the provisions of the Act, rules, regulations or any notification issued thereunder or guidelines issued by the Authority ; or

(b) the Authority has determined, in a manner to be specified by guidelines that, the warehouseman has not resolved disputes efficaciously, or that there are significant outstanding disputes with holders regarding delivery of goods in respect of such warehouse.

(8) The Authority may conduct or may engage an external person to conduct inspection of warehouse in respect of which renewal of registration is sought if, —

(a) inspection of the warehouse has not been conducted within one year preceding the date of application for renewal; or

(b) inspection or audits of the warehouse has revealed violations of the Act, rules, regulations , or any notifications issued thereunder or guidelines issued by the Authority ; or

(c) there have been disputes with holders regarding delivery of goods in respect of such warehouse.

(9) The provisions of rules 8 to 11 shall apply to an inspection under this rule.

(10) If the Authority is satisfied that the applicant meets the eligibility requirements under these rules, it shall issue a certificate of renewal of registration to the warehouseman in respect of the warehouse within five working days after receipt of application or the inspection report, as the case may be, in the form as specified in the Fourth Schedule.

(11) Modification of the certificate of registration in this rule shall be permitted for the following, namely:-

(a) errors in the certificate of registration; and

(b) a change in the goods to be stored in the warehouse.

14. Surrender of the certificate of registration.- (1) If a warehouseman wishes to surrender his registration to conduct warehousing business in respect of one or more registered warehouses, he may make a request for such surrender to the Authority in such manner as may be specified by the Authority.

(2) While disposing a request under this rule, the Authority may require the warehouseman to satisfy it with respect to the following factors –

(a) the warehouseman has no pending obligations to deliver goods in respect of which it has issued negotiable warehouse receipts from such registered warehouse; and

(b) there are no pending disputes in relation to the goods deposited in the registered warehouse in respect of which a request has been made.

(3) The Authority may call for information from such warehouseman in such form and manner as may be determined by it from time to time.

(4) The Authority may accept the surrender of registration if it is satisfied that the requirements under this rule have been met.

(5) If the Authority accepts the surrender of registration, it shall inform the warehouseman, and all other stakeholders in the manner as may be specified by it from time to time.

(6) If the warehouseman continues to conduct the warehousing business from other warehouses after the surrender of the certificate of registration of one or more warehouses, the Authority shall return the security deposit only in respect of such warehouse whose certificate of registration has been surrendered.

(7) The warehouseman shall not issue any negotiable warehouse receipt from the registered warehouse in respect of which it requests surrender, on and from the date of submitting the request under this rule, and until it receives a rejection order under this rule.

CHAPTER 5

ELIGIBILITY REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF A WAREHOUSE

15. Identity of applicant.- (1) Every application shall be accompanied by necessary documents to establish the identity of the applicant as per the Fifth Schedule.

(2) Every application shall be accompanied by necessary documents to demonstrate that the applicant is in –

(a) ownership of the warehouse stated in the application as mentioned in the Sixth Schedule; or

(b) effective control of the warehouse stated in the application as per the First Schedule.

16. Fit and proper person.- (1) The Authority shall examine whether the applicant is a fit and proper person.

(2) The Authority shall consider the applicant a fit and proper person if the applicant satisfies all of the following requirements —

(a) the applicant, or any of its key managerial persons, has not been convicted by any court for any offence at any time in the preceding five years;

(b) the applicant, or any of its key managerial persons, has not been declared as an insolvent by any court;

(c) the applicant, or any of its key managerial persons, has not been declared to be of unsound mind by any court;

(d) if the applicant is a person other than an individual, the documents mentioned in the Fifth Schedule should state that one of the objectives of the entity is to carry out the warehousing business;

(e) the applicant or its affiliates are not assigned, by the Authority to carry out any other function under the Act; and

(f) the applicant submits an undertaking to the effect that all the local laws have been complied with for carrying out the business of warehousing with respect to the warehouse.

17. Insurance.- (1) The applicant or warehouseman shall have insurance coverage for the risks specified under this rule, in the manner as may be specified by the Authority from time to time.

(2) The insurance coverage of the applicant or warehouseman with respect to the goods deposited in the warehouse, must be against at least —

(a) fire;

(b) flood;

(c) burglary;

(d) misappropriation; and

(e) riots and strikes.

(3) If the warehouse is located in an area notified as a disturbed area by the Central Government or any other area specified by the Authority by guidelines, the applicant shall be required to have the insurance coverage against terrorism.

(4) The Authority may, by guidelines, specify additional requirements for insurance, including additional risks and the manner of coverage that a warehouseman may be required to take.

(5) The Authority may require a warehouseman to provide periodic information regarding the insurance coverage required under this rule.

(6) The applicant and warehouseman shall submit copies of all insurance policies to the Authority to exhibit compliance with the insurance requirements under this rule.

18. Minimum net worth.- (1) The applicant shall meet the minimum net worth requirements as stated in the Seventh Schedule on the basis of the sum total of the capacity of the warehouses concerned and all registered warehouses belonging to the applicant.

(2) The warehouseman shall maintain the minimum net worth requirements as specified in the Seventh Schedule at all times during the period of registration.

(3) The applicant shall provide evidence of compliance with net worth requirements periodically to the Authority.

(4) The Authority may, by guidelines, state the periodic interval at which a warehouseman shall provide evidence of compliance in respect of net worth requirements.

(5) The applicant shall submit one of the following documents to the Authority to exhibit compliance with the net-worth requirements –

(a) audited balance sheet for the last financial year;

(b) provisional net worth certificate issued by applicant's statutory auditor, provided that an audited balance sheet of the last financial year is submitted within a period of twelve months;

(c) in case of persons not subject to audit, balance sheet certified by a chartered accountant.

19. Security deposit.- (1)The Authority, in consultation with all the stake holders, shall, by notification in the official Gazette, specify the amount and the manner of the security deposit to be furnished by the applicant or the warehouseman but the warehouseman shall not increase charges payable by the depositors within the period of validity of negotiable warehouse receipts issued to them.

(2) An applicant shall submit and maintain a security deposit to be held by the Authority during the period of registration of the warehouse.

(3) The warehouseman shall ensure that the amount of the security deposit furnished is in compliance with these rules at

IndiaCode

all times, or at such periodic intervals as the Authority may specify from time to time.

(4) When an applicant or a warehouseman furnishes or updates the security deposit, the Authority shall issue an acknowledgement of receipt of such deposit.

(5) The warehouseman may furnish, at his option, a joint security deposit for more than one warehouse.

(6) The Authority shall maintain complete records regarding the security deposit provided by the applicant or the warehouseman.

(7) The Authority may, at its discretion, adjust the security deposit already furnished by the warehouseman, against the amounts required to be furnished as security deposit in these rules.

(8) The Authority may allow any entity created under an Act of Parliament or of State legislature to provide, instead of the security deposit, an indemnity bond of the amount required as security deposit.

(9) If the Authority allows the submission of an indemnity bond, it shall specify the form of such indemnity bond.

(10) An entity allowed by the Authority to submit an indemnity bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its board of directors authorising the furnishing of such indemnity bond.

(11) The Authority shall refund the security deposit in respect of a warehouse, if -

(a) an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules;

(b) a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or

(c) the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of these rules.

20. Infrastructure requirements for a warehouse.- (1) The applicant shall demonstrate the compliance of the warehouse with the infrastructure requirements as specified by the Authority from time to time.

(2) The Authority shall specify the manner in which an applicant shall be required to comply with the requirements set out under this rule.

(3) The Authority may conduct or cause to be conducted a physical inspection of the warehouse to satisfy itself that the information submitted under this rule is correct.

(4) The Authority may not grant a certificate of registration in respect of a warehouse concerned unless it is satisfied that the warehouse concerned meets the requirements under this rule.

21. Standard operating procedure.- (1) An applicant shall not be granted a certificate of registration in respect of a warehouse unless he submits standard operating procedures in respect of all the warehouses.

(2) The applicant may submit the same standard operating procedures in respect of more than one or all warehouses.

(3) The standard operating procedures shall provide for the following aspects —

(a) procedure for deposit and delivery of goods;

(b) procedure for weighing, sampling of goods to be deposited as per industry standards;

(c) procedure for verification of quality of goods and communication to depositor;

(d) procedure for maintaining details of persons who may act as authorised representatives of the warehouseman for issuing negotiable warehouse receipt;

(e) procedure for ensuring the safety of the goods from fire, theft, burglary, etc.;

(f) procedure for scientific storage of goods, including stacking;

(g) procedure for clear identification of stored goods up to the lowest common factor (for example lot size);

(h) procedure for determining losses caused due to fire, flood, burglary, misappropriation, fraud, negligence and force majeure events;

(i) procedure for internal verification of stock;

(j) procedure for grievance redressal; and

(k) roles and responsibilities of employees (including outsourced employees).

(4) The standard operating procedure shall meet such minimum requirements in regard to the matters specified under sub-rule (3), as may be specified by guidelines by the Authority.

CHAPTER 6

PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR WAREHOUSEMAN

22. Compliance with registration requirements.- (1) A warehouseman shall at all times comply with -

(a) the requirement of maintaining effective control of the warehouse as required under clause (b) of sub-rule (2) of rule 15;

(b) the requirement of being a fit and proper person as per the criteria as stated in rule 16;

(c) the insurance requirements as stated in rule 17;

(d) the minimum net worth requirements as stated in sub-rule (1) of rule 18;

(e) the security deposit requirements as stated in rule 19;

(f) infrastructure requirements as required under rule 20; and

(g) compliance with its standard operating procedure in accordance with rule 21.

(2) Every warehouseman shall put in place appropriate internal systems and controls to monitor its compliance with the requirements under this rule.

23. Compliance with standard operating procedure.- (1) A warehouseman shall comply with its standard operating procedure submitted under rule 21 in respect of registered a warehouse at all times.

(2) A warehouseman shall ensure that it takes measures to monitor its internal compliance with the standard operating procedure.

(3) A warehouseman may modify, update or revise the standard operating procedure in respect of registered warehouse at any time, except when the Authority has directed the warehouseman of an inspection or investigation.

(4) The warehouseman shall submit the standard operating procedure that is modified, updated or revised to the Authority immediately after such modification, updation or revision.

(5) Any modification, updation or revision of standard operating procedure shall have no effect, unless it has been submitted to the Authority.

(6) The Authority may reject any modification, updation or revision, unless it meets the minimum standards provided under sub-rule (4) of rule 21.

(7) The Authority may specify the form and manner of modification, updation or revision of the standard operating procedure.

24. Know your depositor requirements.- (1) The Authority may from time to time, specify-

(a) the persons responsible, which may include the warehouseman, for collecting the documents to be submitted by the depositor for proving his identity and address before he can deposit goods with the warehouseman, and for the opening of any accounts or maintaining any records of the goods deposited against the name of such depositor; and

(b) the manner in which such information shall be collected, and any other relevant requirements for depositors and persons responsible for collecting such information.

(2) The list of documents that may be accepted as proof of the identity and the address of the depositor shall be such as are specified in the Eighth Schedule.

(3) The Authority may, by guidelines, specify the form and manner of collecting such information, and allow for additional documents or information that shall be regarded as acceptable proof of identity and address of a depositor.

25. General obligations of a warehouseman.- In the conduct of its warehousing business, a warehouseman shall -

(a) issue a negotiable warehouse receipt only in respect of such goods that have been specified by the Authority from time to time;

(b) deliver the goods referred to in a negotiable warehouse receipt, to the holder of the negotiable warehouse receipt on demand made by the holder after satisfying the warehousing lien;

(c) ensure that the negotiable warehouse receipt holder, on receiving the goods from the warehouseman, acknowledges the receipt of the goods in a form and manner required by the Authority;

IndiaCode

(d) take necessary actions to maintain the quality and quantity of goods stored in the warehouse;

(e) maintain and record a complete and accurate set of records and accounts of all transactions pertaining to the operation of a registered warehouse as per the requirements that the Authority may specify from time to time;

(f) ensure that the physical inventory tallies exactly with the record;

(g) maintain effective control of all registered warehouse storage space;

(h) provide necessary assistance in the execution of inspections and audits by the Authority;

(i) resolve grievances efficaciously;

(j) not differentiate among depositors regarding use of and access to a warehouse;

(k) not store goods belonging to itself in a registered warehouse; and

(l) not sell, remove or dispose of the goods deposited in a registered warehouse except as permitted under the Act.

26. Information contained in warehouse receipts.- A warehouseman must ensure that all warehouse receipts issued by it, negotiable or otherwise, comply with the requirements of section 11 of the Act and the rules, regulations and notifications made thereunder.

27. Mandatory registration with e-negotiable warehouse receipt repository.- (1) With effect from such date as may be specified by the Authority, no warehouseman shall issue any negotiable warehouse receipts in physical form, and shall register with one or more repositories registered with the Authority for issuing negotiable warehouse receipts in electronic form.

(2) The Authority shall provide sufficient time to the warehouseman to comply with the requirements of this rule.

28. Disclosure of information.- (1). A warehouseman shall make a written disclosure to the Authority of any of the following events, namely:-

(a) any change in the key managerial persons of the warehouseman, within fifteen days of such change;

(b) any change in the ownership or capital structure of the warehouseman, within fifteen days of such change;

(c) any change in the net worth of the warehouseman, on a quarterly basis;

(d) the occurrence of any of the events stated in sub-rule (2) of rule 17, within fifteen days of such event;

(e) the initiation of a dispute in relation to the goods deposited in a warehouse or the negotiable warehouse receipt issued in relation to the deposited goods, immediately upon the initiation of the dispute; and

(f) any change in location or capacity of the warehouses managed by the warehouseman, whether registered with the Authority or not, immediately on the occurrence of such change.

(2) The Authority may, by order, require the warehouseman to make any additional disclosures and stipulate the form and manner in which a disclosure is required to be made.

29. Submission of information regarding warehouse receipts.- (1) A warehouseman shall submit monthly reports to the Authority in such form and manner, including in electronic form, as may be specified by the Authority in this behalf.

(2) The monthly reports to be submitted under this rule shall contain the following details of warehouse receipts in respect of the preceding month, namely:–

(a) the total number of warehouse receipts (negotiable and non-negotiable) issued, redeemed, or cancelled;

(b) the total number of un-issued negotiable warehouse receipts in his possession, if any;

(c) the commodity wise stock position of all goods against which the warehouseman has issued warehouse receipts (negotiable and non-negotiable);

(d) the aggregate market value of all goods against which the warehouseman has issued warehouse receipts (negotiable and non-negotiable) as on the last day of the preceding month; and

(e) the negotiable warehouse receipts pledged with banks and financial institutions;

(3) The Authority may require additional information regarding the negotiable warehouse receipts issued by the warehouseman, or the goods stored by the warehouseman in registered warehouses.

CHAPTER 7

SUSPENSION OF REGISTRATION

30. Suspension of registration.- (1) The Authority may suspend the registration of a warehouse belonging to a warehouseman for any violation of the provisions of the Act, or rules, regulations or guidelines made or any notifications issued thereunder, after issuing a show cause notice to the warehouseman.

(2) The show cause notice shall include the following details —

(a) the specific requirements of the Act, or of the rules or regulations made under the Act, that the warehouseman or the warehouse violates;

(b) the action the warehouseman is required to take to rectify such violation; and

(c) the time limit within which such corrective action may be taken.

31. Effect of suspension.- (1) The Authority may by order in writing prevent the warehouse from issuance of any negotiable warehouse receipt during the period of suspension in respect of such warehouse.

(2) The warehouseman shall, during the period of suspension of registration of the warehouse, continue to discharge its obligations in respect of negotiable warehouse receipts already issued by it.

(3) The Authority may, during the period of suspension of a warehouse, conduct or cause to be conducted through an external person, an inspection of such warehouse to ensure compliance with the provisions of the Act, rules, regulations and guidelines made and any notification issued thereunder.

32. Revocation of Suspension.- (1) The Authority may revoke the suspension of registration in respect of the warehouse if it is satisfied that the warehouseman has fulfilled the requirements mentioned in the show cause notice issued under sub-rule (2) of rule 30 and shall immediately communicate such decision to the warehouseman.

(2) A warehouseman whose suspension in respect of the warehouses has been revoked, may commence the warehousing business from such warehouse after the revocation of suspension.

India Code

CHAPTER 8

CANCELLATION OF REGISTRATION

33. Cancellation of registration.- (1) The Authority may cancel the registration of a warehouse if, -

(a) the warehouse is in violation of the infrastructure requirements set out in rule 20;

(b) the warehouseman is no longer able to demonstrate ownership of, or effective control over, the warehouse;

(c) the warehouseman is no longer a fit and proper person as per rule 16;

(d) warehouseman violates the net worth requirements under rule 18;

(e) the warehouseman has been repeatedly suspended for a violation of any of the provisions of these rules;

(f) the registration of the warehouse has been suspended and the warehouseman fails to comply with the requirements specified in the show-cause notice issued to it under sub-rule (2) of rule 30;

(g) the warehouseman does not cooperate in any enquiry, inspection or audit conducted by the Authority or external person;

(h) the warehouseman fails to comply with any corrective action required as a result of any enquiry, inspection or audit conducted by the Authority or external persons; or

(i) the order suspending the registration of the warehouse has been issued more than once.

(2) The Authority shall not cancel the registration of a warehouse, except after holding an enquiry in accordance with this rule.

(3) The Authority, or the enquiry officer appointed by the Authority, under this rule, shall issue a show cause notice to the warehouseman which includes the following details —

(a) the specific requirements under the Act or these rules that the warehouseman or the registered warehouse violates;

(b) the information which would enable the Authority to satisfy itself regarding the violation; and

(c) the time limit within which the notice must be replied to.

(4) The Authority or the enquiry officer making any enquiry under sub-rule (3) shall allow the warehouseman —

(a) access to all the material considered in taking the decision to issue a show cause notice;

(b) access to any material that was collected in the course of any inspection or investigation under the Act used in taking the decision to issue the show cause notice; and

(c) access to any recorded conclusions or findings that the Authority drew based on material collected during any inspection or investigation under the Act used in taking the decision to issue the show cause notice.

(5) The Authority or the enquiry officer may conduct, or cause to be conducted by an external person, an inspection of such warehouses, to examine the compliance with the provisions of this Act, or rules, regulations or guidelines made or any notifications issued thereunder.

(6) Where an enquiry officer is appointed, such officer shall submit an enquiry report to the Authority after considering all the facts and the submissions made by the warehouseman.

(7) The enquiry report submitted by the enquiry officer under sub-rule (6) shall include the following —

(a) copy of the show cause notice;

(b) all material considered in taking the decision to issue the show cause notice;

(c) copy of all communications and submissions made by the warehouseman to the enquiry officer in respect of the show cause notice;

(d) copy of all material considered during the investigation;

(e) findings of the investigation;

(f) specific violations by the warehouseman under this Act or these rules which make him liable for action; and

(g) name of the enquiry officer, or official of the Authority if an enquiry officer is not appointed.

(8) The Authority shall issue an order on the basis of the enquiry report or on the basis of all the facts and the submissions made by the warehouseman before it and communicate to the warehouseman.

(9) The order issued by the Authority shall contain the following information, namely:-

(a) the decision taken by the authority;

(b) the materials on which the Authority has relied upon to arrive at such decision;

(c) the reasons to take such decision; ;

(d) any right that the applicant may have to get the matter referred to the Appellate Authority; and

(e) the procedure of such reference.

(10) The Authority shall issue an order in respect of each warehouse whose registration is cancelled.

34. Effect of cancellation.- (1) On and from the date of cancellation of the registration of the warehouses, the warehouseman shall,

(a) cease to conduct the warehousing business in respect of such warehouses; and

(b) continue to discharge its obligations in respect of negotiable warehouse receipts issued by it.

(2) The Authority may prevent the issuance of any negotiable warehouse receipts by a warehouse whose registration has been cancelled.

IndiaCode

CHAPTER 9

MISCELLANEOUS

35. Power of Authority in the event of potential loss to negotiable warehouse receipt holders.- (1) If the Authority determines that a warehouseman is not likely to make adequate efforts or has communicated his inability to preserve the quantity and quality of goods against which negotiable warehouse receipts have been issued by either relinquishing custody or control of deposited goods, or in any other manner, and such act or omission is likely to cause loss to the quantity and quality of goods against which negotiable warehouse receipts have been issued, the Authority may, for the purpose of preserving the quantity and quality of such goods, immediately take control of and manage, or take control of and liquidate the goods, as it may deem fit.

(2) The Authority may act under sub-rule (1) only after the registration of the warehouse, -

(a) has been suspended; or

(b) has been cancelled; or

(c) has not been renewed; or

(d) has been, or is sought to be, surrendered.

(3) While acting under sub-rule (1) the Authority may, —

(a) immediately inform all negotiable warehouse receipt holders of such warehouses, and provide sufficient time for taking delivery of goods;

(b) appoint an external person for taking control, management and liquidation of the goods; and

(c) recover from the warehouseman the costs of any action taken under this rule, and in the event of non-payment the security deposit of the warehouseman may be forfeited.

IndiaCode

36. Power to require information and communicate electronically.- The Authority may, by order in writing or electronically, require any report or information from the applicant, warehouseman and any other person.

37. Transition provisions.- (1) Subject to the provisions of this rule, the registration of a warehouse registered prior to the commencement of these rules shall continue to be valid for its remaining period of registration.

(2) Warehouse registered with the Authority prior to the commencement of these rules shall have to comply with the requirements stated in rules 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29 within six months from such commencement.

(3) A warehouseman registered with the Authority in respect of one or more warehouses prior to the commencement of these rules shall, within thirty days of such commencement, furnish to the Authority -

(a) the name of his employer who is the owner of the warehousing business, if the warehouse is owned by such owner;

(b) the name of his employer who is the owner of the warehousing business, if the warehouse has been hired or leased by such owner; or

(c) a declaration that he is the owner of the warehousing business, if the warehouseman is the owner of the warehousing business.

(4) The owner of the warehousing business shall also furnish –

(a) a declaration of the warehouseman confirming that he is the owner of the warehousing business, and that the details furnished by the warehouseman under this rule are true and correct; and

(b) a declaration that he shall comply with the requirements of these rules within the stipulated time.

(5) A declaration from the owner of the warehousing business shall not be required under sub- rule (4) if such person is the warehouseman prior to the commencement of these rules.

(6) The registration of a warehouse registered with the Authority prior to the commencement of these rules shall lapse automatically, if the owner of the warehousing business fails to comply with the requirements under this rule.

The First Schedule

[See rules 2(1) (e) and 15(2) (b)]

Documents to demonstrate effective control of warehouse concerned by applicant

The applicant must submit any one of the following documents to exhibit effective control over the warehouse concerned —

(1) a copy of the lease deed or rent agreement in respect of the warehouse concerned, or any other document evidencing a lease or rent, in favour of the applicant;

(2) in case of sub-lease, a copy of the lease deed indicating that sub-leasing is permitted, and a copy of the sub-lease deed. The lease deed must permit a sub-lease with effective control over the warehouse concerned;

(3) a revenue sharing agreement in respect of the warehouse concerned, with clear responsibility of the applicant to manage and operate the warehouse;

(4) no objection certificate from the municipal corporation/panchayat/local body, as the case may be, for carrying out the business of warehousing in favour of the applicant on land owned by the municipal corporation/ panchayat/local body ;

(5) copy of lease document from the concerned Agricultural Produce Marketing Committee or Board indicating lawful possession of land/ warehouse in favour of the applicant; or

(6) copy of the allotment letter by respective State Government indicating lawful possession of land/warehouse, in favour of the applicant.

IndiaCode

The Second Schedule

[See rules 4(1) and 13(1)]

Application for the Registration / Renewal of Registration of Warehouse

Recent passport size Photo of the applicant or authorized representative of the applicant, who signs the application form

To

The Warehousing Development and Regulatory Authority

……..

…….. New Delhi-110016

Subject: Application for registration / renewal of registration of Warehouse(s) at.....Tehsil / Taluka..... District.....

Dear Sirs,

I/ we…….....… (Name) working as....…….(designation) in …….....(name of the organization) having its registered office at ……. request for grant of registration/ renewal of registration for carrying on the business of warehousing and accordingly submit the following information.(strike

I. Information concerning the applicant:

1	Name of the applicant*	
2	Address of the applicant (please attach proof of address)	
3	E-mail	
4	Phone number with STD code Mobile number	
5	Whether the application is in respect of an existing warehouseman? If yes, please mention the warehouseman identification number given in any earlier certificate of	

	registration obtained	
6	Type of entity (Company/ PSU/ Partnership firm/Cooperative Society/ Society/ Trust /Individual)	
7	Please furnish a copy of the identity proof of the applicant (refer the Fifth Schedule of Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017) (If the application is in respect of entity other than a natural person (individual), one of the documents attached should state that one of the objectives of the entity is to carry on the warehousing business	
8	If the application is submitted by an authorised representative of the applicant (other than a natural person/individual), please indicate the address, e-mail and phone/mobile numbers of the authorised representative and attach copy of the proof of address as per serial number 1 of the Fifth Schedule of Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017 and any one of the following documents : (i) power of attorney: (ii) board resolution authorising the representative; (iii) board resolution in favour of the person providing a letter of authorisation in favour of the authorised representative; or, (iv) a letter of authorization from the governing body of the trust, society, partnership firm, as the case may be (the governing body shall be the body constituted by such organisation under its registered incorporation documents). .	
9	Details of Insurance Policies covering the warehouse applied (as per rule 17 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017) Please attach photocopies of the insurance policies.	
10	Net-worth of the entity for the previous financial year. (Please attach proof as per rule 18 (5) of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017)	
11	Please attach one set of Standard Operating Procedure as per rule 21 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017)	
12	Number of warehouse(s) for which registration is applied for	

(Note: In case the application is with respect to an existing warehouseman and there is no change in serial number 1-11 only serial number 1,5 and 12 would need to be filled. However, in case of any change in any of the particulars listed at serial number 1-11, the same shall also be provided.)

II. Information pertaining to the Warehouse for which registration is sought:

(to be submitted separately for each warehouse)

1. Name of Warehouse.....

2. Details of the warehouse:

i.	Complete address of the Warehouse with PIN code Telephone-land line with STD code, Mobile & Fax number	
ii.	Year of construction of the Warehouse	
iii.	Whether Warehouse/Silo is constructed as per BIS/CWC/FCI Standards? If so, please specify.	
iv.	Whether the warehouse (cols storage) is constructed is as per NHB/ NHM/ SHM/ NCCD/MoFPI/APEDA/State Government	

	norms? If so, please specify.	
v.	Number of godowns or storage units**	
vi.	Total capacity of the warehouse (MT)	
vii.	Dimensions of the godown(s)/ storage units** (length X breadth X height) / (diameter x height in case of bins) in meters	
viii.	Plinth height of the godown(s)/ Storage Units**	
ix.	Whether the Warehouse is Owned/ hired/ leased (attach documentary proof as per the Sixth and First Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017 as applicable)	
x.	If hired/ leased, state duration of hiring/ lease	
xi.	Name of the jurisdictional Police Station and distance from the Warehouse	
xii.	Distance from the nearest Fire Station (Name of Fire Station)	
xiii.	Number of entry and exit points for the warehouse and number of Security guards employed.	
xiv.	Whether the warehouse is bound by a compound wall/barbed wire fencing	
xv.	Details of the Security arrangements. Please provide details of number of security guards deployed	
xvi.	Details of fire safety arrangements (number & type of fire extinguishers, fire buckets, water arrangements, fire safety alarms and any other measures etc.) (attach a list)	
xvii.	Equipments for weighing goods present in the warehouse (attach a list)	
xviii.	Is a lorry weighbridge available in the warehouse? if so, please state its capacity, make, date of installation and date of last stamping.	
xix.	If a weighbridge is not available in the warehouse, please state name of the owner & address of the nearby weighbridge to be used for weighment. State its capacity, make, date of last stamping and its distance from the warehouse	
xx.	Equipments for assaying of goods available in the warehouse (attach a list)	
xxi.	Whether all the local laws have been complied with for carrying out the business of warehousing	
xxii.	Please provide details of staff at the Warehouse	

Name	Designation	Educational Qualifications	Details of experience in warehousing

xxiii.	Goods stored/ proposed to be stored for which NWRs to be issued	
xxiv.	Details of the Registration fee submitted in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority (as per rule 5 and the Third Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017)	Amount Rs…..……. Demand Draft No.… Date..... In case of on line payment, UTR /transaction number Name of the Bank……

* Company/ PSU/ Partnership firm/Cooperative Society/ Society/ Trust /Individual

** Chamber in cold storage, bins in case of Silo

IndiaCode

DECLARATION:

1. I/We declare to be authorized representatives of the organization to apply for registration of Warehouse.
2. I/We hereby solemnly declare that I/we or any of the key managerial persons, has not been convicted by a court for any offence at any time in the preceding five years
3. I/We hereby solemnly declare that I/we or any of the key managerial persons, has not been declared an un-discharged insolvent by any court
4. I/We hereby solemnly declare that I/we or any of the key managerial persons, has not been declared to be of unsound mind by any court
5. I/We hereby solemnly declare that I/we or any of the affiliates are not assigned, by the Authority to carry out any other function under the Act.
6. I/We hereby solemnly declare that one of the objectives of the entity is to carry out the warehousing business and undertake that all the local laws have been complied with for carrying out the business of warehousing with respect to the warehouse concerned.
7. I/We hereby solemnly declare that the warehouse specified above is suitable for carrying on the business of warehousing and that it is in good condition and having all the requirements as per rule 20 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017.
8. I/ We hereby undertake to ensure compliance of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017 for disclosure of information (Rule 28) and ensure submission of monthly information on warehouse receipts (Rule 29).
9. I/We agree to abide by the terms and conditions of the registration.
10. I/we undertake that the required amount of Security Deposit will be paid, if the WDRA decides to register the warehouse concerned
11. I/We hereby solemnly declare to extend all cooperation to the Authority or to an external person engaged by the Authority to conduct physical inspections/ any other inspection of the warehouse under my/ our effective control.
12. I/We hereby solemnly declare that all information herein given is true to the best of my /our knowledge and that in case it proves to be untrue; I/We undertake to indemnify person or persons concerned in this business against any loss arising out of such false or untrue information and cancellation of registration.

Signature ……..……

Date:
Place:

Name in full……
Designation……

Enclosures: As per application & check list

Address……

Note:-

In case of online application for registration:-

a) In case of entities other than natural person (individual), Class-III Digital Signature Certificate (DSC) of the authorised representative shall be attached. In case of natural person (individual) Class-III Digital Signature Certificate (DSC) or AADHAR based One Time Password (OTP) verification through AADHAR registered mobile number shall be required.
b) In case of information with respect to serial number xvi, xvii and xx details shall be provided as per the data entry format of the online application for registration

IndiaCode

Checklist of documents to be attached with the application for registration/ renewal of registration of Warehouse

S. No.	Document attached	Attached
1.	Application in prescribed form affixing the photograph of individual/authorised representative	Yes/ No
2.	Applicant's proof of identity as required at Fifth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017	Yes/ No
3.	Standard Operating Procedures	Yes/ No
4.	Document in support of net-worth as required under Rule 18 (5) of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017	Yes/ No
5.	Copy of Insurance policies as prescribed under Rule 17 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017	Yes/ No
6.	Lay out Plan of the warehouse(s)	Yes/ No
7.	Basic Data Sheet in case of warehouse (cold storage)	Yes/ No
8.	Proof about technical standards under which warehouse (cold storage) constructed	Yes/ No
9.	List of equipments for assaying goods	Yes/ No
10.	List of equipments for weighing goods	Yes/ No
11.	Fire Safety arrangements	Yes/ No
12.	If warehouse is owned: Copy of the Records of Rights or registered title deed in respect land on which warehouse concerned is located as per the Sixth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017	Yes/ No
13.	Document to demonstrate effective control over the Warehouse, any of the following (as per the First Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017): (i) lease deed or rent agreement, (ii) sub-lease agreement and lease deed indicating that sub leasing is permitted, (iii) revenue sharing agreement, (iv) NOC from Municipal Corporation/ Panchayat/ local body (as the case may be), (v) lease agreement from concerned APMC, (vi) copy of allotment letter from State Government . For each warehouse listed in the application separately.	Yes/ No
14.	D.D or copy of Bank transaction slip in support of payment of registration fee	Yes/ No
15.	Existing/ previous registration Certificate (In case of renewal)	Yes/ No

The Third Schedule

[See rules 4, 13 (4)]

Application fees for registration and renewal with the Authority

Unit of registration	Fee
Each warehouse with a capacity of 10,000 Ton or less	Rs. 20,000
Each warehouse with a capacity of more than 10,000 Ton but less than or equal to 25,000 Ton	Rs. 25,000
Each warehouse with a capacity of more than 25,000 Ton	Rs. 30,000

Where the applicant/ warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Co-operative, the fee shall be Rs. 5,000 per warehouse.

The Fourth Schedule

[See rules 12 (3) and 13 (2) and (10)]

WAREHOUSE REGISTRATION or RENEWAL CERTIFICATE
(under section 4 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007)

Registration number–
Valid from — to —-

1. Name of the warehouseman – (Company, Partnership Firm, Society, Trust, Individual, as applicable)

2. Address of the warehouse –

3. Warehouseman Identification Number-

4. Number of godowns/ storage units (if more than one) –

5. Registered capacity of the warehouse –

6. Conditions of registration –

(a) The warehouseman agrees to comply with all the requirements under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 and all rules and regulations made thereunder, as well as any guidelines or requirements issued by WDRA from time to time.

(b) Goods for which registration is granted for the purpose of issuing Negotiable Warehouse Receipts–

(i)

(ii)

(iii)

(iv) ....

(c) The certificate of registration is valid from — to — for the aforementioned goods, and only at the location specified in this certificate.

(d) This certificate of registration is granted based on the representation of the warehouseman that the information submitted in the application for registration is true and correct. The certificate may be suspended or cancelled if any information is found to be incorrect or untrue.

(e) The registration shall not be transferable.

(f) The certificate of registration shall be liable to be suspended or cancelled in accordance with the procedure laid out by the Authority for violation of provisions of the Act, rules, regulations, notifications and guidelines/circulars issued by the Authority.

(g) If suspended or cancelled, the Authority shall revoke or demand surrender of the certificate of registration, and the warehouseman shall act in compliance of any requirements specified by the Authority regarding revocation or surrender.

- Signature of Authorised officer –
- Seal of the Authority –
- Date –
- Place –

The Fifth Schedule
[See rule 15]

Proof of identity and address to be submitted along with application for registration

The following will be regarded as valid documents to establish the identity and the address of the applicant –

1. If the applicant is a natural person, an attested copy of any one of the documents listed below;

(i) Aadhar card;

(ii) Permanent Account Number (PAN) card (Only as identity proof);

(iii) Driving license;

IndiaCode

(iv) Passport; or

(v) Current passbook of post office/any scheduled bank having photo.

2. If the applicant is a company, an attested copy of its —

(i) certificate of incorporation;

(ii) memorandum of association;

(iii) articles of association; and

(iv) PAN card

3. If the applicant is a partnership firm, an attested copy of both of the following must be submitted:

(i) partnership firm registered deed / statement of the partnership firm/ partnership firm; and

(ii) Registration certificate of the partnership firm.

4. If the applicant is a society, an attested copy of both of the following must be submitted--

(i) Memorandum of association of the society; and

(ii) Registration certificate of the society.

5. If the applicant is a trust, an attested copy of the registered trust deed of the trust must be submitted.

The Sixth Schedule

[See rule 15(2) (a)]

Documents to demonstrate ownership of warehouse concerned by applicant

The applicant must submit the following documents to exhibit ownership over the warehouse concerned.

(a) copy of the record of rights of land on which the warehouse concerned is located; or

(b) if the record of rights is not available, a registered title deed in respect of the land on which the warehouse concerned is located.

IndiaCode

The Seventh Schedule

[See rule 18 (1) and (2)]

Minimum net worth requirements for registration with the Authority

Storage capacity (in tons)	Net worth (Rupees in crores)
Less than 1,000	0.5
1,001 – 5,000	2.5
5,001 – 10,000	5
10,001 – 25,000	10
25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 and above	100

Where the applicant/ warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Co-operative, the net worth should be positive.

The Eighth Schedule

[See rule 24 (2)]

Documents required for Know Your Depositor Process

(A) The following documents serve as proof of identity of the depositor:

(1) if the depositor is an individual, any one of the following proofs of identity belonging to him will suffice:

(a) Aadhar Card;

(b) Permanent Account Number card;

(c) Driving License;

(d) Passport;

(e) Certificate from Gram Panchayat with photo and address;

(f) Certificate of Photo Identity issued by Village Panchayat or its equivalent authority (for rural areas);

(g) Address card with photo issued by Department of Posts, Government of India;

(h) Current passbook of post office/any public sector scheduled bank having photo;

(i) Kisan Passbook having photo; or

(j) Voter Identity Card.

(2) if the depositor is a company, its –

(a) Certificate of incorporation;

(b) a letter authorising the person depositing the goods as acting on behalf of the company; and

(c) proof of identity of person authorised in the letter as per para (A) (1).

(3) If the applicant is a partnership firm, its –

(a) document showing registered address of the partnership firm;

(b) letter authorising the person depositing the goods as acting on behalf of the partnership firm; and

(c)(b) proof of identity of person authorised in the letter as per para (A) (1).

(4) If the applicant is a trust, its –

(a) document showing registered address of the trust;

(b) letter authorising the person depositing the goods as acting on behalf of the trust; and

(c) proof of identity of person authorised in the letter as per para (A) (1).

(5) If the applicant is a society, its –

(a) document showing the registered address of the society;

(b) letter authorising the person depositing the goods as acting on behalf of the society; and

(c) proof of identity of person authorised in the letter as per as per para (A) (1).

(B) Where any document mentioned in this Schedule contains the address of the depositor, it shall also serve as proof of the address of the depositor. In addition, any one of the following documents may be submitted as proof of the depositor's address:-

(a) Post office Account Statement/Passbook;

(b) Bank Statement/Passbook;

(c) Ration Card;

(d) Government Photo Identity cards/service photo identity card issued by Public Sector Undertaking;

IndiaCode

(e) Electricity Bill (not older than three months);

(f) Water Bill (not older than three months);

(g) Telephone (Mobile/ Landline) Bill (not older than three months);

(h) Property Tax Receipt (not older than three months);

(i) Credit Card Statement (not older than three months);

(j) Insurance Policy;

(k) Arms License;

(l) Pensioner Card;

(m) Freedom Fighter Card;

(n) Central Government Health Scheme/ Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card;

(o) Certificate of Address having photo issued by Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Gazetted Officer or Tehsildar on Letter head;

(p) Income Tax Assessment Order;

(q) Vehicle Registration Certificate;

(r) Registered Sale/Lease/Rent Agreement;

(s) Disability Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations;

(t) Gas Connection Bill (not older than three months).

(C) Any other document as proof of identity and address as the Authority may specify from time to time.

(D) If the depositor has previously completed a Know Your Depositor process, the requirements of seeking the information required in this Schedule may be dispensed with.

[F. No. TFC/4/2016]
SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.02 11:14:23 +05'30'